



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 18, मंगलवार, शाके 1937-मार्च 08, 2016
Phalgun 18, Tuesday, Saka 1937- March 08, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.251.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) इन संशोधन नियमों के,-

(i) नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 के उपबंध 01.04.2016 से प्रवृत्त होंगे; और

(ii) नियम 9, 14 और 16 के उपबंध 01.07.2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 17क का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 17क में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (2) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (1क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1क) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विकासकर्ता या निर्माणकर्ता के रूप में सामान्यतः ज्ञात कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो संकर्म संविदाकार के रूप में प्लैट, निवास या भवन या परिसर निर्माण करने का जिम्मा लेता है और उन्हें माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के साथ और भूमि या किसी करार के अनुसरण में भूमि में अन्तर्निहित हित अन्तरित करता है, उसके द्वारा जिम्मा ली गई किसी परियोजना के लिये धारा

5 के उपबंधों के अनुसरण में, ऐसी परियोजना के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-69क में आवेदन प्रस्तुत कर, एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिये विकल्प दे सकेगा। प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक आवेदन किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: परियोजना के प्रारम्भ से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको परियोजनाओं के सम्बन्ध में किसी करार के विरुद्ध क्रेता से कोई रकम प्राप्त की गई है।”

- (ii) विद्यमान उप-नियम (8) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (9) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (8क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(8क) विकासकर्ता या निर्माणकर्ता को ऐसी परियोजना(ओं) के लिए, जिनके लिए उसने विकल्प का प्रयोग किया है, बाहर जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परन्तु विकासकर्ता या निर्माणकर्ता, जिसने 01.04.2016 से पूर्व कर के बदले एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिए विकल्प दिया था, वह 30.04.2016 तक विकल्प से बाहर जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में जारी एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिए प्रमाणपत्र, उसके द्वारा पहले से जिम्मा ली गई परियोजनाओं के लिए प्रवृत्त रहेगा।”

3. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 में,-

- (i) विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(4) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) और/या राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न निम्नलिखित वर्ग के ऐसे व्यवहारियों द्वारा विवरणी प्ररूप मूपक-11 में, सुसंगत वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर, प्रस्तुत की जायेगी,-

- (क) जिसने धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है; या
- (ख) जो छूटप्राप्त माल के विक्रय और क्रय में अनन्य रूप से लगे हुए हैं; या
- (ग) जो ऐसे माल के विक्रय में अनन्य रूप से लगे हुए हैं जो धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन अधिकतम खुदरा कीमत पर कराधेय है और ऐसे माल पर उक्त उप-धारा के अधीन पूर्ववर्ती अवसर पर अधिकतम खुदरा कीमत पर कर लग चुका है; या
- (घ) जो ऐसे माल के विक्रय में अनन्य रूप से लगे हुए हैं जो विक्रय की आवली में प्रथम बिन्दु पर कराधेय है और ऐसे माल पर उक्त प्रथम बिन्दु पर कर लग चुका है; या
- (ङ) जो ऐसे माल के विक्रय में अनन्य रूप से लगे हुए हैं जिसके लिए धारा 5 के अधीन एकमुश्त राशि में कर का संदाय किया

जा सकता है और व्यवहारी ने एकमुश्त राशि में कर के संदाय का विकल्प दिया है; या

(च) जो ऐसे माल के विक्रय में अनन्य रूप से लगे हुए हैं जो छूट फीस के संदाय की शर्त पर धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन कर के संदाय से छूटप्राप्त हैं और व्यवहारी ने छूट फीस के संदाय के लिए विकल्प दिया है; या

(छ) आयुक्त द्वारा जैसा अधिसूचित किया जाये।

उपर्युक्त खण्ड (च) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त खण्ड के अधीन आने वाला संविदाकार, प्ररूप मूपक-11 प्रस्तुत करेगा जहां संविदा जिसके लिए उसके द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग किया गया है, के संबंध में शेष कराधेय माल का कोई आनुषंगिक विक्रय किया गया है। वह सुसंगत तिमाही की समाप्ति के साठ दिवसों के भीतर उस तिमाही के लिए, जिसमें ऐसे विक्रय उसके द्वारा किये गये हैं, प्ररूप मूपक-08क में ऐसे शेष कराधेय माल के विक्रय का विवरण भी प्रस्तुत करेगा:

परन्तु उस व्यवहारी की दशा में जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 44कख के अधीन अपने लेखे संपरीक्षित करवाना अपेक्षित है, सुसंगत वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।”;

(ii) विद्यमान उप-नियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(11) जहां कोई व्यवहारी, जिसने धारा 3 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में कर के संदाय या धारा 5 के अनुसरण में कर के बदले एकमुश्त राशि में संदाय का विकल्प दिया है और वर्ष की समाप्ति के पूर्व उक्त विकल्प से बाहर आ जाता है वहां ऐसा व्यवहारी उस तिमाही, जिसमें वह विकल्प से बाहर गया है, के वर्ष के प्रारंभ से विकल्प से बाहर जाने की तारीख तक के पण्यवर्त के ब्यौरे संबंधित तिमाही की विवरणी प्ररूप मूपक-10 में प्रस्तुत करेगा और उससे उस वर्ष की पूर्व तिमाही(यों) के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।”

4. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 में,-

(i) उप-नियम (8) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह “।” के स्थान पर विराम चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (8) में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त (प्रशासन) किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक या 30.09.2016 तक, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए व्यवहारी को अनुज्ञात कर सकेगा।”

5. नियम 22क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22क के विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(7) जहां विकासकर्ता या निर्माणकर्ता के रूप में सामान्यतः ज्ञात कोई व्यवहारी अधिनियम की धारा 5 के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि में संदाय के विकल्प का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को कोई संकर्म संविदा अवाई करता है, वहां वह अवाईर पहचान प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किये गये व्यक्ति को किसी राशि का संदाय करते समय, इन नियमों के नियम 40 में यथा उपबंधित रीति में, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी रकम की कटौती करेगा और उक्त नियम के समस्त उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6. नियम 27 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 27 में,-

(i) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(6) आयुक्त द्वारा जब तक अन्यथा निदेशित न किया जाये, निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे आदेश के पारित किये जाने के दो कार्य दिवस के भीतर, केन्द्रीय प्रतिदाय अधिकारी के रूप में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-23 प्रस्तुत करेगा।”;

(ii) विद्यमान उप-नियम (7) हटाया जायेगा।

7. नियम 38 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 38 में,-

(i) उप-नियम (2) के खण्ड (झ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “हस्ताक्षर”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम (7) के खण्ड (ड) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “हस्ताक्षर”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर” प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 40 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 40 में,-

(i) उप-नियम (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “और सुसंगत तिमाही की समाप्ति के 21 दिन के भीतर प्ररूप मूपक-41 में संविदाकार को कर की कटौती का प्रमाणपत्र जारी करेगा” हटायी जायेगी;

(ii) उप-नियम (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर,” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर,” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) विद्यमान उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(8) अवाईर पहचान प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रत्येक अवाईर उसके द्वारा कटौती की गयी रकम, ऐसी कटौती के मास की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर, इन नियमों में यथा उपबंधित रीति में निक्षिप्त करेगा।”;

(iv) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-नियम (8) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (9) के पूर्व, निम्नलिखित नये उप-नियम (8क) और (8ख) अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(8क) अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रत्येक अवार्डर, तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर, उप-नियम(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-40ड में विवरण प्रस्तुत करेगा। जहां अवार्डर उपर्युक्त यथा वर्णित विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां उक्त अधिकारी सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध करवाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 64 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(8ख) जहां अवार्डर को उसके द्वारा प्रस्तुत प्ररूप मूपक-40ड में किसी लोप या गलती का पता चलता है, वहां वह सुसंगत वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर पुनरीक्षित प्ररूप मूपक-40ड प्रस्तुत कर सकेगा।”

- (v) विद्यमान उप-नियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(11) प्ररूप मूपक-40ड की प्राप्ति पर, प्ररूप मूपक-41 में कर की कटौती का प्रमाणपत्र जनित किया जायेगा और विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को और संविदाकार को अग्रेषित किया जायेगा। उस दशा में, जिसमें अवार्डर द्वारा प्ररूप मूपक-40ड पुनरीक्षित किया जाता है, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-41 जनित किया जायेगा और पूर्व में जनित प्ररूप मूपक-41 को रद्द किया जायेगा।”;

- (vi) विद्यमान उप-नियम (12), (13), (14), (15) और (16) हटाये जायेंगे।

9. नियम 47 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 47 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1) किसी व्यवहारी की लेखापरीक्षा, व्यवहारी के विकल्प के अनुसार लेखापरीक्षक द्वारा,-

- (i) व्यवहारी के कारबार के स्थान पर; या
(ii) लेखापरीक्षक के कार्यालय में,
की जायेगी।

अधिनियम की धारा 27 के अधीन लेखापरीक्षा के लिए उसके चयन के संबंध में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवहारी को सूचना दी जायेगी और उससे ऐसी सूचना के पन्द्रह दिन के भीतर उस स्थान के संबंध में जहां वह लेखापरीक्षा करवाना चाहता है, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी। जहां व्यवहारी ऐसे विकल्प से सूचित करने में असफल रहता है, वहां लेखापरीक्षा व्यवहारी के कारबार के स्थान पर की जायेगी।”

10. प्ररूप मूपक-03 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-03 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “धारा 3(2) या 5(1) के अधीन विकल्पित” के स्थान पर अभिव्यक्ति “धारा 3(2) के अधीन विकल्पित” प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. प्ररूप मूपक-06ख का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-06ख में, विद्यमान अभिव्यक्ति “3. विकल्प को प्रयोग में लाये जाने की तारीख पर आ.क.मु. का अतिशेष” के स्थान पर अभिव्यक्ति “3. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को आ.क.मु. का अतिशेष” प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. प्ररूप मूपक-10 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-10 में, “ख. पण्यावर्त” के मद शीर्ष ख-1. कर दायित्व के विद्यमान उप-मद संख्यांक “1.1 धारा 8(3) के अधीन पण्यावर्त (संकर्म संविदा छू.प्र.)” और उसकी सारणी के पश्चात् और विद्यमान उप-मद संख्यांक “1.2 रामूपक अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीम)” के पूर्व, निम्नलिखित नई उप-मद संख्यांक 1.1.क, 1.1.ख और उनकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

“1.1.क. क्रयों के ब्यौरे (संकर्म संविदा की दशा में भरा जाये)

1.1.क.1 मूपक बीजक के प्रति राज्य के भीतर किये गये क्रयों की विशिष्टियां

क्र.सं.	टिन	विक्रेता व्यवहारी का नाम	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम

1.1.क.2 राज्य के भीतर किये गये क्रयों की विशिष्टियां जिन पर अधिनियम के अधीन कर संदत्त नहीं किया गया है:

क्र. सं.	वस्तु	व्यवहारी/ व्यक्ति का नाम जिससे माल क्रय किया गया है	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	कर की दर	कर की रकम जो ऐसे क्रयों पर संदेय होती यदि माल मूपक बीजक के प्रति क्रय किया गया होता

1.1.क.3 राज्य के बाहर से किये गये क्रयों की विशिष्टियां :

क्र. सं.	वस्तु	व्यवहारी/ व्यक्ति का नाम जिससे माल क्रय किया गया है	कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम	कर की दर	कर की रकम जो ऐसे क्रयों पर संदेय होती यदि माल मूपक बीजक के प्रति क्रय किया गया होता

1.1.ख. कराधेय शेष माल का पण्यावर्त

क्र.सं.	वस्तु का नाम	पण्यावर्त (रु.)	कर की दर	कर की रकम
	क	ख	ग	घ

13. प्ररूप मूपक-11 का संशोधन.- (i) शीर्ष “ख. पण्यावर्त” के विद्यमान उप-मद संख्यांक “1.1.क.3 राज्य के बाहर से किये गये क्रयों की विशिष्टियां” और उसकी सारणी के पश्चात्, और विद्यमान उप-मद संख्यांक “1.2 रामूपक अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीमें)” के पूर्व, निम्नलिखित नई उप-मद संख्यांक 1.1.ख और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“1.1.ख. कराधेय शेष माल का पण्यावर्त

क्र.सं.	वस्तु का नाम	पण्यावर्त (रु.)	कर की दर	कर की रकम
	क	ख	ग	घ

(ii) शीर्ष “ख. पण्यावर्त” के विद्यमान उप-मद संख्यांक “1.2 रामूपक अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीमें)” और उसकी सारणी के पश्चात्, और विद्यमान उप-मद संख्यांक “1.3 व्यवहारी द्वारा कराधेय विक्रय जिन्होंने धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है” के पूर्व, निम्नलिखित नई उप-मद संख्यांक 1.2.क और उनकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“1.2.क विकासकर्ता या निर्माणकर्ता द्वारा भरा जाये

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थल	एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिए प्रमाणपत्र के ब्यौरे		प्राप्त रकम	प्रशमन रकम
			सं.	तारीख		
1	2	3			5	6

14. प्ररूप मूपक-20 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप मूपक-20
(नियम 27(1)(क) और (2)(क) देखिए)
प्रतिदाय के लिए आवेदन
तिमाही के लिए: से तक**

प्रेषिती,

सआ/वाकअ/सवाकअ
वृत्त/वार्ड

	समुचित अधिनियम, जिसके अधीन प्रतिदाय अपेक्षित है, पर सही का निशान लगाएं	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957
1	व्यवहारी का नाम	
2	टिज़	
3	पता	
4	बैंक के ब्यौरे	
	4.1 बैंक का नाम जिसमें प्रतिदाय चाहा गया है	
	4.2 शाखा का नाम	
	4.3 खाता संख्यांक	
	4.4 खाते का प्रकार	
	4.5 शाखा का आईएफएससी	
	4.6 क्या शाखा में सीबीएस व्यवस्था है ?	हाँ
		नहीं
5	दावा की गई प्रतिदाय की रकम और उसका(के) कारण	
	क. निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप	

i. कालावधि से तक							
ii. आदेश की तारीख	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व
ख. सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप								
i. प्राधिकारी का नाम								
ii. आदेश की तारीख	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व

स्थान: हस्ताक्षर
 तारीख: नाम और हैसियत:

घोषणा

मैं/हम मैसर्स..... के स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/कर्ता/कारबार प्रबन्धक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त कथित तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट कालावधि के लिए प्रतिदाय का कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया गया है।

स्थान: हस्ताक्षर
 तारीख: नाम और हैसियत: ”

15. प्ररूप मूपक-20क का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-20क में, विद्यमान मद संख्यांक 13 के पश्चात्, निम्नलिखित नई मद संख्यांक 14 जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

“

14	बैंक के ब्यौरे	
14.1	बैंक का नाम जिसमें प्रतिदाय चाहा गया है	
14.2	शाखा का नाम	
14.3	खाता संख्यांक	
14.4	खाते का प्रकार	
14.5	शाखा का आईएफएससी	
14.6	क्या शाखा में सीबीएस व्यवस्था है?	हाँ नहीं ”

16. प्ररूप मूपक-27 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप मूपक-27
 (नियम 30(1) देखिए)
 अपील प्राधिकारी को अपील का ज्ञापन**

प्रेषिती,
 अपील प्राधिकारी,
 वाणिज्यिक कर विभाग

समुचित अधिनियम, जिसके अधीन अपील फाइल किये जाने का आशय है, पर सही का निशान लगाएं	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003
	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
	राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999
	राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

		राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957				
1.1	अपीलार्थी का नाम					
1.2	रजिस्ट्रीकरण सं./ (टिन), यदि कोई हो					
2	पता					
2.1	भवन सं./नाम					
2.2	क्षेत्र/नगर और शहर					
2.3	जिला					
2.4	पिन कोड					
2.5	ई-मेल आई.डी.					
		रामूपक अधि. 2003	केविक अधि. 1956	रास्थाक्षे माप्रक अधि. 1999	विला. अधि. 1990	रामविक अधि. 1957
3.	आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की तारीख/मास/वर्ष					
4.	धारा, जिसके अधीन आदेश पारित किया गया					
5.	वह कालावधि जिससे विवाद संबंधित है से तक					
6.	अपील में दावाकृत अनुतोष:					
क.	कर, ब्याज और शास्ति को सम्मिलित करते हुए कुल दायित्व					
(i)	प्राधिकारी द्वारा अवधारित					
(ii)	अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत					
(iii)	अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त					
और/या						
ख.	अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त					
(i)	विवादग्रस्त पण्यावर्त					
(ii)	विवादग्रस्त पण्यावर्त पर शोध कर					
और/या						
ग.	यदि कर की दर विवादग्रस्त है					
(i)	पण्यावर्त					
(ii)	विवादग्रस्त कर की रकम					
और/या						
घ.	यदि शास्ति/ब्याज की रकम विवादग्रस्त है					
(i)	धारा, जिसके अधीन शास्ति/ब्याज विवादग्रस्त है					

(ii)	विवाद में की शारित की रकम					
(iii)	विवाद में की ब्याज की रकम					
7.	कोई अन्य दावाकृत अनुतोष					
8.	क्या स्वीकृत दायित्व संदत्त कर दिया गया है ?					
9.	क्या रामूपक अधि., 2003 की धारा 82(3) के उपबंधों का अनुपालन किया गया है ?					
10.	अपील फाईल करने के लिए निक्षिप्त रकम के ब्यौरे :					
	रकम	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन. /सी.आई.एन.	अधिनियम का नाम जिसके अधीन रकम निक्षिप्त की गई है		
11.	अपील के आधार (प्रत्येक अधिनियम के अधीन अपील के पृथक आधार वर्णित किये जाने चाहिए)					

तारीख : (डिजीटल हस्ताक्षर)
स्थान : हस्ताक्षरकर्ता का नाम हैसियत

सत्यापन

मैं/हम यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी सूचना और इसके संलग्नक (यदि कोई हों) मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख : (डिजीटल हस्ताक्षर)
स्थान : हस्ताक्षरकर्ता का नाम हैसियत”

17. प्ररूप मूपक-40 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप मूपक-40
(नियम 40(1) देखिए)

अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र के आवंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती,
निर्धारण प्राधिकारी
वृत्त
जोन

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के लिए

(क) टिन

0	8								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान: हस्ताक्षर
तारीख: नाम:
हैसियत: ”

19. प्ररूप मूपक-40घ का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-40घ में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति “जिसके कारबार का मुख्य स्थान” के स्थान पर अभिव्यक्ति “जिसके कारबार का प्रमुख स्थान” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति “कारबार का मुख्य स्थान” के स्थान पर अभिव्यक्ति “कारबार का प्रमुख स्थान” प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. प्ररूप मूपक-40ङ का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-40ङ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप मूपक-40ङ
[नियम 40 (8) देखिए]**

अवार्डर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संकर्म संविदा और कर कटौती का विवरण

प्रेषिती
निर्धारण प्राधिकारी,
वृत्त.....
जोन.....

1. अवार्डर का नाम
2. अवार्डर पहचान संख्यांक
3. पता
भवन सं/नाम/क्षेत्र
नगर/शहर
जिला (राज्य)
पिन कोड ई-मेल आईडी
मोबाइल संख्या(एँ) फ़ैक्स नम्बर
4. विवरणी के अधीन कालावधि

**भाग क
तिमाही के दौरान की गयी संकर्म संविदा की जानकारी**

क्र. सं.	कार्य आदेश संख्यांक	कार्य आदेश तारीख	संविदा की प्रकृति और ब्यौरे	संविदा का कुल मूल्य	संविदाकार का नाम और पता	संविदाकार का टिन, यदि कोई हो	तारीख जिस तक संविदा को पूरा किये जाने का जिम्मा लिया गया है	संविदा के अधीन अवार्डर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले माल का ब्यौरा और उनका मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भाग ख
तिमाही के दौरान अवार्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे:

क्र. सं.	कार्य आदेश संख्यांक	कार्य आदेश तारीख	संविदा की प्रकृति	संविदा का सकल मूल्य	बिल संख्या और तारीख	बिल की रकम	संविदाकार का ई.सी. संख्यांक, यदि कोई हो	स्रोत पर कटौती की गई रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संविदाकार को संदाय की जमा की वाउचर सं. और तारीख	चालान की सकल रकम और तारीख जिसको स्रोत पर कटौती की गयी और वाणिज्यिक कर विभाग के खाते में जमा करायी गयी	महालेखाकार समायोजन/ जी. आर.एन/सी.आई. एन. के माध्यम से किये गये संदायों के लिए खजाना वाउचर संख्यांक	संविदाकार का टिन, यदि कोई हो	संविदाकार का नाम	मूपक के बदले में दर (%)			
10	11	12	13	14	15			

भाग ग
संविदाकार द्वारा निक्षिप्त कर के ब्यौरे, यदि कोई हों:

क्र. सं.	संविदा की तारीख	संविदा की प्रकृति	संविदा का सकल मूल्य	बिल संख्यांक और तारीख	बिल रकम	संविदाकार द्वारा निक्षिप्त रकम	संविदाकार द्वारा कर निक्षेप की तारीख	जी. आर. एन/सी. आई. एन.	संविदाकार का टिन	संविदाकार का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

भाग घ
संविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई कर कटौती नहीं प्रमाणपत्र के ब्यौरे:

क्र. सं.	संविदा की तारीख	संविदा की प्रकृति	संविदा का सकल मूल्य	एन.टी.डी. एन. का प्रमाणपत्र सं.	एन.टी.डी. एन. के जारी किये जाने की तारीख	जारी करने वाला प्राधिकारी	संविदाकार का टिन	संविदाकार का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21. प्ररूप मूपक-41 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप मूपक-41
(नियम 40(11) देखिए)
अवार्ड द्वारा स्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र

प्ररूप संख्यांक
जारी करने की तारीख:

संविदाकार का नाम	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (टिन), यदि कोई हो

पता	
अवार्डर का नाम	
अवार्डर की पहचान संख्यांक	
पता	
संविदाकार को संदत्त रकम	
टीडीएस की रकम	

अवार्डर द्वारा स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

क्र. सं.	कार्य आदेश संख्यांक	कार्य आदेश तारीख	संविदा की प्रकृति	संविदा का सकल मूल्य	बिल संख्या और तारीख	बिल की रकम	संविदाकार का ई.सी. संख्यांक, यदि कोई हो	स्रोत पर कटौती की गई रकम	संविदाकार को संदाय की जमा वाउचर सं. और तारीख	चालान की सकल रकम और तारीख जिसको स्रोत पर कटौती किया गया कर वाणिज्यिक कर विभाग के खाते में जमा कराया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

22. प्ररूप मूपक-42 का हटया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-42 हटया जायेगा।

23. प्ररूप मूपक-69क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-69 के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप मूपक-70 के पूर्व, निम्नलिखित नया प्ररूप मूपक-69क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप मूपक 69क
(नियम 17क देखिए)**

विकासकर्ता या निर्माणकर्ता के लिए एकमुश्त राशि में कर का संदाय करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रेषिति,
निर्धारण प्राधिकारी,

मैं दिनांक से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 17क के अधीन एकमुश्त राशि में कर का संदाय करने की मंजूरी के लिए निम्नलिखित रूप में मेरा आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ:

मेरे कारबार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. टिन:
2. आवेदक का नाम:
3. व्यवहारी का नाम:
4. पता:
5. ई-मेल पता:
6. संपर्क संख्यांक:
7. परियोजना के ब्यौरे:
 - क. परियोजना का नाम:
 - ख. परियोजना के स्थान का पता:
 - ग. परियोजना की प्राक्कलित लागत:
 - घ. परियोजना को पूर्ण करने की प्राक्कलित कालावधि से तक:

8. परियोजना का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का नाम:

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा मैं/हम सुसंगत नियम में विनिर्दिष्ट समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर:
पदनाम:”

24. प्ररूप मूपक-70 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-70 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप मूपक 70
(नियम 17क देखिए)
एकमुश्त राशि में कर के संदाय का प्रमाणपत्र**

1. टिन:
2. आवेदक का नाम:
3. व्यवहारी का नाम और पता:
4. ई-मेल पता:
5. मोबाइल सं.:
6. भाग क: विकासकर्ता या निर्माणकर्ता से भिन्न व्यवहारियों के लिए लागू;
वस्तुएं जिनके लिए एकमुश्त राशि में कर का संदाय करने मंजूरी दी गयी है:

भाग-ख: विकासकर्ता या निर्माणकर्ता के लिए लागू

परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत	परियोजना का स्थान

यह प्रमाणपत्र व्यवहारी द्वारा एकमुश्त राशि में कर का संदाय करने के विकल्प का प्रयोग किये जाने तक या व्यवहारी द्वारा कारबार बंद किये जाने तक या प्रमाणपत्र रद्द किये जाने तक, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगा।

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर :
नाम:
पदनाम:”

मुहर

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-182]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.252.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 2 के खण्ड (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है,

इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.12(52) एफडी/टैक्स/09-पार्ट-113, दिनांक 31.12.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 14 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“ 15. समस्त प्रकार के उपयोग में लिये गये मोटर यान ”

यह 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-183]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.253.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 22 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 22. देशी हस्तनिर्मित वाद्ययंत्र, उनके घटक और भाग, घुंघरू ”;

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 34 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 34. अनब्रांडेड टोस्ट, अनब्रांडेड रस्क और ब्रैड (ब्रांडेड या अन्यथा) पीज्जा ब्रैड को छोड़कर ”;

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 37 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 37. पापड़, पापड़ खार, बड़ी, मंगोडी और खाखरा ”;

(iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 69 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 69. प्रति मद 1000/- रुपये तक की मार्बल की वस्तुएं ”;

- (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 77 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 77. ग्वार बीज, ग्वार दाल, ढेंचा और पूंवाड़ ”;

- (vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 92 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 92. कैरोसीन लैम्प, हरीकेन लालटेन, कैरोसीन विक स्टोव और कैरोसीन प्रेशर स्टोव, उनके उपसाधन और पुर्जे ”;

- (vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 107 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 107. सौर ऊर्जा उपस्कर और सोलर टार्च ”;

- (viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 120 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी; और

- (ix) विद्यमान क्रम संख्यांक 148 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

149.	बायोमास स्टोव	
150.	लाई	
151.	पट्टू	
152.	कपूर	
153.	लकड़ी का बुरादा	
154.	गब्बा	
155.	सत्तु	
156.	सिलाई मशीन में प्रयुक्त होने वाली सुई को छोड़कर सिलाई की सुई	
157.	छत बनाने की मिट्टी की टाइलें (केलु)	
158.	पशुओं के पाँवों की नालें और इसकी कीलें	
159.	खड़ की खेलने की गेंद और गुब्बारे	
160.	हैण्डपम्प, उसके पुर्जे और फिटिंग्स	
161.	माचिस	
162.	सीलबंद पात्र में पैक किया हुआ गंगाजल और गंगा अर्घ्य, जो पीने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है	”।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-184]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.254.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना

समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 73 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 74 और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“ 74. राजस्थान कारागार विभाग ”

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-185]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.255.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान कारागार विभाग को उक्त विभाग की जेलों की कर्मशालाओं में विनिर्मित या उत्पादित माल के विक्रय पर संदेय कर से, इस शर्त के अध्याधीन छूट देती है कि ऐसे माल पर सबूत के प्रतीक के रूप में कोई लेबल या चिह्न अन्तर्विष्ट होगा कि माल जेलों की कर्मशालाओं में विनिर्मित या उत्पादित किया गया है।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-186]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.256.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- “

4.	अनुसूची 1 में वर्णित से भिन्न समस्त प्रकार की ईंटें, डामर की छत और रिफ्रेक्टरी मोनोलिथिक	5.5	
----	--	-----	--

 ”;
- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “

6.	सिलाई का धागा	5.5	
----	---------------	-----	--

 ”;
- (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
- (iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 21 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “

21.	माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स, पादपवर्धन उन्नायक और रेगुलेटर, शाकनाशी, मूसमार, कीटनाशी और घासपातनाशी	5.5	
-----	---	-----	--

 ”;
- (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 41 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “

41.	कागज या थर्माकोल से निर्मित डिस्पोजेबल वस्तुएं, भोजन पैक करने वाले डिस्पोजेबल पात्र, दूध पिवस, स्ट्रॉ, घरेलू एल्युमिनियम फोइल और टिशू पेपर	5.5	
-----	--	-----	--

 ”;
- (vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
- (vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 74 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “

74.	पेट्रोमेक्स प्रेशर लेम्प, ग्लास चिमनी और पेट्रोमेक्स गैस मेन्टल और उसके उपसाधन और भाग।	5.5	
-----	--	-----	--

 ”;
- (viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 78 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
- (ix) विद्यमान क्रम संख्यांक 86 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “

86.	सूडोफैकिक इण्ट्रा ऑक्यूलर लैंस को छोड़कर चिकित्सीय उपस्कर / डिवाइसेज और दन्त इम्प्लांट्स को सम्मिलित करते हुए इम्प्लांट्स	5.5	
-----	---	-----	--

 ”;
- (x) विद्यमान क्रम संख्यांक 98 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।
- (xi) विद्यमान क्रम संख्यांक 107 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “

107.	प्रसंस्कृत या परिरक्षित सब्जियां और फल, अनब्रांडेड अचार चाहे बंद पात्र में विक्रीत किया जावे या अन्यथा, फ्रूट स्कैश और फ्रूट ज्यूस जब खुला विक्रीत किया जाये, शर्बत और ठन्डाई	5.5	
------	---	-----	--

 ”;
- (xii) विद्यमान क्रम संख्यांक 112 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

112.	अर्द्ध-सिले वस्त्रों को सम्मिलित करते हुए सिले सिलाचे वस्त्र	5.5	
------	--	-----	--

 ”;

(xiii) विद्यमान क्रम संख्यांक 117 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(xiv) विद्यमान क्रम संख्यांक 118 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(xv) विद्यमान क्रम संख्यांक 159 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

159.	प्लास्टिक ग्रिल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के प्लास्टिक माल और अनब्रांडेड प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर किन्तु किसी अन्य अनुसूची में वर्णित प्लास्टिक माल को छोड़कर	5.5	
------	--	-----	--

 ”;

(xvi) क्रम संख्यांक 198 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “(सत्तु)” हटायी जायेंगी।

(xvii) विद्यमान क्रम संख्यांक 222 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“

223.	मेजरिंग टेप और वर्नियर केलीपर्स	5.5	
224.	इलेक्ट्रिक रिवचगेयर	5.5	
225.	हेल्थ फिटनेस, जिमनास्टिक उपस्कर, थर्मल मसाजर, फैट लूजिंग बैल्ट, बॉडी वाइब्रेटिंग आइटम्स, एक्स्प्रेसर मशीन, मॉर्निंग वाकर	5.5	
226.	सभी प्रकार के गलीचे	5.5	
227.	ग्वार गम और ग्वार गम पाउडर	5.5	
228.	तैयार किया हुआ पान	5.5	

 ”;

(xviii) भाग-क-सू. प्रौ. उत्पादों के प्रवर्ग के अधीन माल में विद्यमान क्रम संख्यांक 10 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

10.	कॉम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) को सम्मिलित करते हुए डाटा स्टोरेज और रिकार्डिंग डिवाइसेस, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (डी.वी.डी.), पेन ड्राइव, एस.डी. कार्ड और मेमोरी कार्ड आदि	5.5	
-----	---	-----	--

 ”;

(xix) भाग-ख-औद्योगिक इनपुट्स के प्रवर्ग के अधीन माल में,-

(क) विद्यमान क्रम संख्यांक 180 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;

(ख) विद्यमान क्रम संख्यांक 264 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी; और

(ग) विद्यमान क्रम संख्यांक 276 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-187]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.257.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-5 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-5 में,-

- (i) क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान मद (xvii) और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नयी मद (xviii) और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“ (xviii) ब्रान्डेड अचार ”;

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 27 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“	27.	किसी भी सामग्री से निर्मित फर्नीचर चाहे असेम्बल रूप में या अनअसेम्बल रूप में हो लेकिन असेम्बल किये जाने हेतु तैयार, चाहे पूर्ण रूप से निर्मित या अनिर्मित या अर्द्धनिर्मित रूप में विक्रय किया जाता हो, ऑफिस फर्नीचर और ब्रान्डेड प्लास्टिक मोल्ड्ड फर्नीचर को सम्मिलित करते हुए परन्तु सरकण्डों से निर्मित मुद्दों को छोड़कर स्पष्टीकरण: स्लाटेड एंगल, गसेट्स, प्लेट्स, पैनल्स व स्ट्रीप्स जब उन्हें फर्नीचर या उपकरण के रूप में असेम्बल किया जाता है तो वह इस मद के प्रयोजन से फर्नीचर या आफिस उपकरण की श्रेणी में माना जायेगा।	14.5	”;
---	-----	---	------	----

- (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 33 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

- (iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 34 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 34. इनसुलेटेड वेयर्स 14.5 ”;

- (v) क्रम संख्यांक 41 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान मद संख्यांक (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ (i) इलेक्ट्रोनिक या नॉन इलेक्ट्रोनिक मैजरिंग डिवाइसेज जिसमें सम्मिलित हैं:-
(क) स्क्रू गेज, डेपथगेज, कॉर्टिंग थिकनेस गेज, डॉयल इण्डीकेटर, मिट्टोवा सिलेण्डर गेज, प्रीसीजन थ्रेड

रिंग गेज, प्रीसीजन प्लग गेज, कलर कम्पेक्टर, औद्योगिक थर्मामीटर तथा इनके भाग और उपसाधन। (ख) डिपिंग मेजर्स, पोरिंग मेजर्स, कोनीकल मेजर्स, सिलेण्ड्रिकल्स मेजर्स। (ग) मीटर स्केल्स, सर्वे चेन्स किन्तु अनुसूची-4 में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर।

”; और

- (vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 52 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

52.	प्लास्टिक कैरी बैग्स और प्लास्टिक से निर्मित डिस्पोजेबल मर्दे	14.5	
-----	---	------	--

”।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-188]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.258.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

8.	दो पहिया और तीन पहिया को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रकार के मोटरयान और उनके भाग और उपसाधन किन्तु 12000 किलोग्राम से अधिक के सकल यान भार वाले भारी वाणिज्यिक यान और ट्रैक्टर को छोड़कर	15	
----	--	----	--

”;

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 11 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “15” के स्थान पर, अभिव्यक्ति “20” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

16.	हैंक में सूती व रेशमी यार्न को छोड़कर समस्त प्रकार का यार्न और उसका अपशिष्ट	2	
-----	---	---	--

”;

(iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 19 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

19.	किसी भी नाम से जाना जाने वाला टेबलेट कम्प्यूटर यथा आई-पैड, ई-बुक रीडर, फ़ैबलेट, स्लेट इत्यादि और उनके भाग और उपसाधन	8	
-----	---	---	--

”; और

(v) विद्यमान क्रम संख्यांक 22 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 23 और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

23.	12000 किलोग्राम से अधिक के सकल यान भार वाले भारी वाणिज्यिक यान	13	
-----	--	----	--

”।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-189]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.259.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.12(74)एफडी/टैक्स/2014-79 दिनांक 14.08.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सूची के स्तंभ संख्यांक-2 में वर्णित माल के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन संदेय स्तम्भ संख्यांक-3 में यथावर्णित कर की रकम इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से, नियत करती है; अर्थात् :-

सूची

क्र. सं.	मद	कर की दर
1	2	3
1.	60 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 650 रु.
2.	60 मिमी. से अधिक किन्तु 65 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 800 रु.
3.	65 मिमी. से अधिक किन्तु 70 मिमी. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेट से भिन्न सिगरेट	प्रति हजार 1900 रु.
4.	60 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 650 रु.
5.	60 मिमी. से अधिक किन्तु 65 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की	प्रति हजार 850 रु.

	लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	
6.	65 मिमी. से अधिक किन्तु 70 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 1450 रु.
7.	70 मिमी. से अधिक किन्तु 75 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 2000 रु.
8.	75 मिमी. से अधिक किन्तु 85 मिमी. से अनधिक लम्बाई (फिल्टर की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए, फिल्टर की लम्बाई 11 मिमी. हो या उसकी वास्तविक लम्बाई, इनमें से जो भी अधिक हो) की फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 2500 रु.
9.	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 8 के अधीन नहीं आने वाली किसी अन्य लम्बाई की सिगरेट	प्रति हजार 2600 रु.

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-190]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.260.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(33)एफडी/ टैक्स/87-02, दिनांक 25.05.2009 में इसके द्वारा, 16.02.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 से संलग्न प्ररूप मूपक-72 में विक्रेता व्यवहारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-72 में घोषणा जनित करेगा और इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति विक्रय व्यवहारी को प्रस्तुत करेगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-191]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)**

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.261.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2015-197, दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा, 01.01.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति “कि विक्रेता व्यवहारी, क्रेता एयरलाइन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी, इससे संलग्न प्ररूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और उसे अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “कि क्रेता एयरलाइन वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-72 में घोषणा जनित करेगी और इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति विक्रेता व्यवहारी को प्रस्तुत करेगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उक्त अधिसूचना से संलग्न विद्यमान प्रमाणपत्र को हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-192]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)**

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.262.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.12(23)एफडी/ टैक्स/2015-206, दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2015 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) खण्ड 2 के विद्यमान उप-खण्ड 2.3 के पश्चात् और विद्यमान उप-खण्ड 2.4 के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-खण्ड 2.3.1 अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“2.3.1 जहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी का, व्यवहारी द्वारा आवेदन में यथा वर्णित संकर्म संविदा के प्रवर्ग के संबंध में समाधान नहीं होता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी संकर्म संविदा के प्रवर्ग में परिवर्तन के साथ पुनरीक्षित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारी को नोटिस तामील करेगा। जहां व्यवहारी इस प्रकार जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में,-

- (i) पुनरीक्षित आवेदन प्रस्तुत करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी पुनरीक्षित आवेदन की प्राप्ति के दस दिन के भीतर विभाग की शासकीय वेबसाइट में यथा उपबंधित रीति में इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-2 में उसे छूट प्रमाणपत्र जारी करेगा;
 - (ii) नोटिस में विहित समय के भीतर पुनरीक्षित आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है या पुनरीक्षित आवेदन नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यदि उसका समाधान हो जाता है कि व्यवहारी द्वारा यथा वर्णित संकर्म संविदा का प्रवर्ग समुचित है तो उसे प्ररूप सं.क.-2 में छूट प्रमाण-पत्र जारी करेगा अन्यथा इस संबंध में समुचित आदेश पारित कर आवेदन को रद्द करेगा।”;
- (ii) प्ररूप सं.क.-2 में, मद संख्यांक 6 में दी गई विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	संकर्म संविदा का विवरण और निष्पादन का स्थान	कार्य आदेश संख्यांक	कार्य आदेश तारीख	अवार्ड का नाम और पता	संविदा का कुल मूल्य	छूट फीस (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)	छूट फीस की रकम (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-193]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.263.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 4 (25) एफडी/ टैक्स/ 2003-137 दिनांक 08.02.2016 में इसके द्वारा, 08.02.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शर्त संख्यांक 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“2. कि अक्षय पात्र फाउंडेशन, जयपुर वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से, उसमें यथा उपबंधित रीति में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-72 में घोषणा जनित करेगा और इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति विक्रय व्यवहारी को प्रस्तुत करेगा। विक्रय व्यवहारी सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-72 अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।”

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-194]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.264.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(33)एफडी/टैक्स/87-पार्ट-II-170 दिनांक 08.02.2016 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति “, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट द्वारा उसकी ओर से किये गये क्रयों के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 से संलग्न प्ररूप मूपक-72 में प्रमाणपत्र विक्रेता व्यवहारी को प्रस्तुत कर देता है।”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट द्वारा उसकी ओर से किये गये क्रयों के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप मूपक-72 में घोषणा जनित करेगा और इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति विक्रेता व्यवहारी को प्रस्तुत करेगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-195]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.265.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(33) एफडी / टैक्स / 87-पार्ट-II-172 दिनांक 08.02.2016 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शर्त संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) यह कि विक्रय रेजीमेन्टल या सैन्य इकाईयों से संलग्न इकाईयों द्वारा चलाये जा रहे केन्टीनो, भारत के सशस्त्र बलों के सदस्यों, युद्ध विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों और उनकी विधवाओं, रक्षा मंत्रालय के असैन्य अधिकारी और स्टॉफ, जो रक्षा एस्टीमेट से वेतन पाते हैं और केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के अधिकारी और स्टॉफ को किया जायेगा; और”

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-196]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.266.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.4(33)एफडी/टैक्स/87पार्ट-II-173 दिनांक 08.02.2016 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शर्त संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(3) यह कि विक्रय भारत के सशस्त्र बलों के सदस्यों, युद्ध विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों और उनकी विधवाओं, रक्षा मंत्रालय के असैन्य

अधिकारी और स्टॉफ, जो रक्षा एस्टीमेट से वेतन पाते हैं और केन्द्रीय स्टोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी और स्टॉफ को किया जायेगा; और”

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-197]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.267.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2015-207 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

3.	(क) कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट के सभी प्रकारों में व्यवहार करने वाले व्यवहारी/आकरिम्क व्यापारी।	जहां ऐसा माल अधिनियम की धारा 76 के अधीन स्थापित जांच चौकी में से होकर गुजरा हो वहां विक्रय या क्रय के संव्यवहार की समाप्ति पर तुरन्त।
	(ख) समस्त प्रकार के उपयोग में लिये गये मोटर यानों में व्यवहार करने वाले व्यवहारी/आकरिम्क व्यापारी।	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उपयोग में लिये गये मोटर यान के स्वामित्व के हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व।

यह 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-198]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.268.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 40 के उप-नियम (6) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

(2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2015-208 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति “6 प्रतिशत” के स्थान पर अभिव्यक्ति “3 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-199]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.269.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(16)एफडी/टैक्स/2009-116 दिनांक 21.01.2016 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “15 मार्च, 2016” के स्थान पर अभिव्यक्ति “31 मार्च, 2016” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) खण्ड 3 के विद्यमान उप-खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1) यह स्कीम ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को लागू होगी जिसके विरुद्ध निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन 30 जून, 2015 तक सृजित कुल परादेय मांग पन्द्रह करोड़ रुपये से कम है,-

- (i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954;
 - (ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994;
 - (iii) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003;
 - (iv) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956; और
 - (v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 1”;
- (iii) खण्ड 4 की सारणी के विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

<p>3. इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक शास्ति या ब्याज या दोनों की परादेय मांग और 31.03.2010 को या उससे पूर्व सृजित हुई हो और,-</p> <p>(i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या</p> <p>(ii) घोषणा प्ररूप(पों) / प्रमाणपत्र(त्रों) के दुरुपयोग; या</p> <p>(iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या</p> <p>(iv) अभिवहन में माल/यान; से संबंधित नहीं हो।</p>	<p>(i) आवेदक ने आवेदन फाइल करने की तारीख पर शास्ति और ब्याज की परादेय रकम का 10 प्रतिशत (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दिया है।</p> <p>(ii) यदि मांग विवाद-ग्रस्त है, आवेदक संबंधित न्यायालय, कर बोर्ड, अपील प्राधिकारी से मामले के प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है, यदि लागू हो।</p>	<p>स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और ब्याज की शेष रकम।</p>
--	---	--

”

(iv) खण्ड 4 की सारणी के विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

<p>6. इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक शास्ति या ब्याज या दोनों की परादेय मांग और 31.03.2010 के पश्चात् किन्तु 30.6.2015 को या उससे पूर्व सृजित हुई हो और,-</p> <p>(i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या</p> <p>(ii) घोषणा प्ररूप(पों) / प्रमाणपत्र(त्रों) के दुरुपयोग; या</p> <p>(iii) लेखों में अंकित नहीं किये गये माल; या</p> <p>(iv) अभिवहन में माल/यान; से संबंधित नहीं हो।</p>	<p>(i) आवेदक ने आवेदन फाइल करने की तारीख पर शास्ति और ब्याज की परादेय रकम का 20 प्रतिशत (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दिया है।</p> <p>(ii) यदि मांग विवाद-ग्रस्त है, आवेदक संबंधित न्यायालय, कर बोर्ड, अपील प्राधिकारी से मामले के प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है, यदि लागू हो।</p>	<p>स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और ब्याज की शेष रकम।</p>
--	---	--

”

(v) स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(2) जहां कोई मांग जिसके लिए स्कीम के अधीन प्ररूप ए.एस.-I में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और ऐसी मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए कोई आवेदन निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो परिशुद्धि के लिए आवेदन का निपटारा, ए.एस.I के प्रस्तुत करने के सात दिवस के भीतर या 31.3.2016 तक, जो भी पहले हो, किया जायेगा।”;

- (vi) खण्ड 5 के उप-खण्ड (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “15.03.2016”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “31.03.2016” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vii) प्ररूप ए.एस.-I में, विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “5. अंतर्ग्रस्त रकम के ब्यौरे :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	अंतर्ग्रस्त रकम (रु.)				अधिनियम का नाम जिसमें, खण्ड 3 के अनुसार मांग सृजित हुई है
			कर	शास्ति	ब्याज	अन्य राशि, यदि कोई हो	
1.							
2.							

”; और

- (viii) प्ररूप ए.एस.-II में, विद्यमान क्रम संख्यांक (i) के पश्चात् और क्रम संख्यांक (ii) के पूर्व, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक (िक), (िख) और (िग) अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

- “(िक) आवेदक का नाम:
 (िख) आवेदक का पता:
 (िग) टिन, यदि कोई हो:”।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-200]
 राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
 संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
 (कर अनुभाग)
 अधिसूचना
 जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.270.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 79 की उप-धारा (1) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) और (iii) के अनुसरण में राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-21 दिनांक 08.07.2009 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 13 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ 13.	अलौह धातुएं, उनकी मिश्र धातुएं और उनके वायर।	”;
-------	--	----

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 20 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

20.	तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद, सिगरेट, पान मसाला और चूरी।	
-----	---	--

- (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 30 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

30.	सभी प्रकार के प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान सिवाय पी.वी.सी. दाने के जब वह राज्य के विनिर्माता द्वारा प्लास्टिक माल के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त करने के लिये आयात्ति किया जाये।	
-----	--	--

- (iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 36 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी; और

- (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 38 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

39.	बिनोला	
40.	अर्द्ध-सिले वस्त्रों को सम्मिलित करते हुए सिले सिलाये वस्त्र	

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-201]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.271.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 79 की उप-धारा (2) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 54 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण में राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-24 दिनांक 08.07.2009 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी; और
(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-202]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.272.—राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 41 के अनुसरण में राज्य सरकार, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि उपयोग में लिये गये मोटर यानों के विक्रय में लगे हुए आकस्मिक व्यापारी द्वारा कर का संदाय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेण्ट रिसिप्ट एकाउंटिंग सिस्टम (ई-ग्रास) के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में किया जायेगा।

यह 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-203]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.273.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान)(संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन.— केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17 में,-

(i) उप-नियम (14) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह “।” के स्थान पर विराम चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (14) में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त (प्रशासन), किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसी घोषणा के जनन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक या 30.09.2016 तक, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए व्यवहारी को अनुज्ञात कर सकेगा।”

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-204]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.274.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.एफ.12(18)एफडी/टैक्स/2008-51 दिनांक 26.07.2012 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “31.03.2016 तक”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “31.03.2017 तक” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-205]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.275.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.12(18)एफडी/टैक्स/2008-8 दिनांक 23.04.2015 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “31.03.2016 तक”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “31.03.2017 तक” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-206]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.276.—राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 11ख का प्रतिस्थापन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 11ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“11ख. प्रतिदाय.- प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन राजस्थान राज्य मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में यथा उपबंधित रीति में, इससे संलग्न प्ररूप मूपक-20 में फाइल किया जायेगा। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 27 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”

3. नियम 15 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“15. अपील प्राधिकारी को अपील.- धारा 23 के अधीन कोई अपील राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में यथा उपबंधित रीति में, उससे संलग्न प्ररूप मूपक-27 में प्रस्तुत की जायेगी। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 30 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”

4. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-14 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-14 हटाया जायेगा।

5. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-23 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-23 हटाया जायेगा।

6. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-24 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-24 हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-207]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.277.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं.13) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(23)एफडी/टैक्स/

2015-211 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

3	समस्त प्रकार का यार्न, हेंक में कॉटन और रेशमी यार्न को छोड़कर	
---	---	--

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 14 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 17 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 18 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 20 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 25 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

25	ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ए.टी.एम.), केश डिपोजिट मशीन (सी.डी.एम.) और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (ए.टी.वी.एम.)	
----	---	--

- (ix) विद्यमान क्रम संख्यांक 33 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (x) विद्यमान क्रम संख्यांक 41 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी; और
 (xi) विद्यमान क्रम संख्यांक 43 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-208]
 राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
 संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
 (कर अनुभाग)
 अधिसूचना
 जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.278.-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं.13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(23) एफडी / टैक्स / 2015-212 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

2	समस्त प्रकार का यार्न, हेंक में कॉटन और रेशमी यार्न को छोड़कर	
---	---	--

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 13 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 17 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 19 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 24 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

24	ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ए.टी.एम.), केश डिपोजिट मशीन (सी.डी.एम.) और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (ए.टी.वी.एम.)	
----	---	--

- (ix) विद्यमान क्रम संख्यांक 31 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी;
 (x) विद्यमान क्रम संख्यांक 39 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी; और
 (xi) विद्यमान क्रम संख्यांक 41 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-209]
 राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
 संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
 (कर अनुभाग)
 अधिसूचना
 जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.279.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क के साथ पठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 45 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित स्वैच्छिक एमनेस्टी स्कीम-2016', जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.-** (1) इस स्कीम का नाम प्रवेश कर के लिए स्वैच्छिक एमनेस्टी स्कीम-2016 है।

(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2016 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) “आवेदक” से निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके स्कीम के लिए विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है; और
(ii) “विभाग” से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. स्कीम का लागू होना.- (1) यह स्कीम ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को लागू होगी जिसके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन कुल परादेय मांग बीस करोड़ रुपये तक है, और मांग 31 दिसम्बर, 2015 को या उससे पूर्व सृजित हुई है।

(2) उपर्युक्त उप-खंड (1) के अध्यधीन, स्कीम ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को भी लागू होगी जिसे मांग (मांगों) का किस्तों में संदाय करने की अनुज्ञा दी गयी है और ऐसी सभी किस्तें, जो स्कीम के अधीन आवेदन के फाइल करने के समय शोध्य हो गयी हैं, ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा निक्षिप्त करा दी गयी हैं।

4. स्कीम के अधीन फायदे.- ब्याज और शास्ति की रकम नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारी या व्यक्ति के प्रवर्ग के लिए स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तों की पूर्ति पर स्तंभ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक अधित्यजित की जायेगी :-

सारणी

क्र. सं.	व्यवहारी या व्यक्ति का प्रवर्ग	शर्तें	ब्याज और शास्ति के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरुद्ध 31.12.2014 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 12 या धारा 15 या धारा 31 के अधीन शास्ति अधिरोपित की गयी है।	(i) आवेदक ने आवेदन फाइल करने की तारीख पर परादेय शास्ति रकम के 15% के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है। (ii) यदि मांग विवाद-ग्रस्त है, आवेदक संबंधित न्यायालय, कर बोर्ड, अपील प्राधिकारी से मामले के प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है, यदि लागू हो।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और ब्याज की शेष रकम।
2.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरुद्ध 31.12.2014 के पश्चात् किन्तु 31.12.2015 को या उसके पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 12 या धारा 15 या धारा 31 के अधीन	(i) आवेदक ने आवेदन फाइल करने की तारीख पर परादेय शास्ति रकम के 25% के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है। (ii) यदि मांग विवाद-ग्रस्त है, आवेदक संबंधित न्यायालय, कर बोर्ड, अपील प्राधिकारी से	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और ब्याज की शेष रकम

	शास्ति अधिरोपित की गयी है।	मामले के प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है, यदि लागू हो।	
3.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरुद्ध 31.12.2014 को या उससे पूर्व मांग सृजित हुई है और जो उपर्युक्त क्रम सं. 1 के अर्न्तगत नहीं आते हैं।	(i) आवेदक ने आवेदन फाइल करने की तारीख पर, कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है। (ii) यदि मांग विवाद-ग्रस्त है, आवेदक संबंधित न्यायालय, कर बोर्ड, अपील प्राधिकारी से मामले के प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है, यदि लागू हो।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और ब्याज की शेष रकम।
4.	व्यवहारी या व्यक्ति जिसके विरुद्ध 31.12.2014 के पश्चात् किन्तु 31.12.2015 को या उसके पूर्व मांग सृजित हुई है और जो उपर्युक्त क्रम सं. 2 के अर्न्तगत नहीं आते हैं।	(i) आवेदक ने आवेदन फाइल करने की तारीख पर परादेय ब्याज रकम के 20% के साथ कर की संपूर्ण रकम (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है। (ii) यदि मांग विवाद-ग्रस्त है, आवेदक संबंधित न्यायालय, कर बोर्ड, अपील प्राधिकारी से मामले के प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है, यदि लागू हो।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति की रकम और ब्याज की शेष रकम

स्पष्टीकरण:(1) जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व निक्षिप्त की जाती है और स्कीम के अधीन अतिशेष परादेय मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में निक्षिप्त रकम पहले कर दायित्व के विरुद्ध और, तत्पश्चात् ब्याज के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी और अतिशेष रकम, यदि कोई हो, अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(2) जहां कोई मांग जिसके लिए स्कीम के अधीन प्ररूप ए.एस.-I में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और ऐसी मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए कोई आवेदन निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो परिशुद्धि के लिए आवेदन का निपटारा, ए.एस.I के प्रस्तुत करने के सात दिवस के भीतर अथवा 31.3.2016 तक, जो भी पहले हो, किया जायेगा।

5. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए, आवेदक कर और/या शास्ति, और/या यथास्थिति, ब्याज के निक्षेप के ब्यौरे के साथ, निर्धारण प्राधिकारी को इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ए.एस.-I में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के अध्याधीन रहते हुए, यदि परादेय मांग में बहु प्रविष्टियां अन्तर्वलित हैं तो आवेदक प्रविष्टियों की किसी भी संख्या, जो वह चाहता है, के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्ररूप ए.एस.-I में पृथक प्रविष्टियां, परादेय मांग की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए की जायेगी और खण्ड 4 की सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तें, प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथक रूप से लागू होंगी।

(4) जहां आवेदक द्वारा मामला (मामले) फाइल किये गये हैं, वहां वह लंबित मामलों के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की स्व-अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(5) जहां मामला (मामले) विभाग द्वारा फाइल किये गये हैं और आवेदक, उपर्युक्त वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित रकम निक्षिप्त करने के पश्चात् इस स्कीम के लिए विकल्प देता है वहां ऐसी परिस्थितियों में आवेदक से ऐसे मामले के प्रत्याहरण के किसी सबूत को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करेगा और समाधान होने पर, वह इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप ए.एस.-II को पूर्ण करेगा और मांग और संग्रहण रजिस्टर से शास्ति और/या, यथास्थिति, ब्याज की परादेय मांग घटा देगा।

(7) निर्धारण प्राधिकारी संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा और वह, उन मामलों में जहां अधित्यजन की रकम पांच लाख रुपये से अधिक है, आयुक्त को भी प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

(8) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

6. शर्त.- इस स्कीम के अधीन अधित्यजित मांग की रकम, स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज और शास्ति की परादेय रकम से अधिक नहीं होगी और किसी मामले में कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

प्ररूप ए.एस.-I

(खण्ड 5 देखिए)

(व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा भरा जाये)

1. आवेदक का नाम और पता :
2. वृत्त/वार्ड का नाम :
3. रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो :
4. ई-मेल पता, यदि कोई हो :
5. अंतर्ग्रस्त रकम के ब्यौरे :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	अंतर्ग्रस्त रकम (रु.)			
			कर	शास्ति	ब्याज	अन्य राशि, यदि कोई हो
1.						
2.						

परादेय मांग विवाद-ग्रस्त होने की दशा में भरा जाये

6. मामले के फाइल किये जाने की तारीख :
7. न्यायालय/फोरम का नाम जिसमें मामला लंबित है :
8. मामले की प्रकृति : अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका/विशेष अपील/धारा 35 के अधीन अभियोजन/अन्य
9. मामले की वर्तमान प्रास्थिति और अंतर्ग्रस्त विवादक :
10. आवेदक की हैसियत : अपीलार्थी/प्रत्यर्थी

11. मामले के प्रत्याहरण का सबूत (यदि मामला आवेदक द्वारा फाइल किया गया है) :
12. व्यवहारी या व्यक्ति के प्रवर्ग के सम्बन्ध में खण्ड 4 की सारणी के क्रम संख्यांक का वर्णन करें:

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	व्यवहारी या व्यक्ति का प्रवर्ग (समुचित खाने में निशान लगायें)					
			1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5	6
			1	2	3	4	5	6

13. रकम के निक्षेप के ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	निक्षिप्त रकम (रु.)	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन/सी. आई.एन

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर:
नाम :
हैसियत :

सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर:
नाम :
हैसियत :

प्ररूप ए.एस.-II

(खण्ड 5 देखिए)

(निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भरा जाये)

- (i) वृत्त/ वार्ड का नाम :
- (ii) व्यवहारी या व्यक्ति का नाम और पता:
- (iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई हो:
- (iv) प्राधिकारी जिसका आदेश मुकदमे के अधीन है :
- (v) मुकदमे की दशा में, मामले के प्रत्याहरण की तारीख :
- (vi) आवेदक के विरुद्ध विभाग द्वारा फाइल किये गये अभियोजन की दशा में अभियोजन की मंजूरी की तारीख और संख्या:
- (vii) आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख पर विवाद-ग्रस्त परादेय मांग के ब्यौरे :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	अंतर्यास्त रकम (रु.)				
			कर	शास्ति	ब्याज	अन्य राशि, यदि कोई हो	कुल
1.							
2.							

- (viii) आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक परादेय मांग पर ब्याज की रकम :
रु.

- (ix) निक्षिप्त रकम का सत्यापन :

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	निक्षिप्त रकम (रु.)				निक्षेप की तारीख	अधिनियम का नाम
			कर	शास्ति	ब्याज	कुल		
1.								
2.								

सत्यापन

मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर लिया है और सत्यापित करता हूँ कि आवेदक ने अधिसूचना सं. एफडी/टैक्स/..... दिनांक की शर्तों का पालन किया है, इसलिए निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित शास्ति और ब्याज की अतिशेष परादेय मांग, मांग और संग्रहण रजिस्टर से घटा दी गयी है:-

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मा.सं. र.के अनुसार परादेय रकम	निक्षिप्त रकम	मा.सं.र. के अनुसार शास्ति और ब्याज के ब्यौरे		अधित्यजित रकम		
					शास्ति	ब्याज	शास्ति	ब्याज	कुल
1.									
2.									

दिनांक:
स्थान:

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-210]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.280.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, और उक्त धारा की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाए क्योंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इसे तुरन्त कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5क का प्रतिस्थापन.- राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 5क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“5क. होटल में उपलब्ध विलासों के लिए नियत की गयी सामान्य दरों की घोषणा.- (1) प्रत्येक होटलवाला, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन या

उससे पूर्व, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक दिन या उसके भाग के लिए उसके द्वारा होटल में उपलब्ध विलासों के लिए सामान्य दर घोषित करेगा और उसे विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारिता रखने वाले विलास कर अधिकारी को उस वर्ष की 30 अप्रैल तक सूचित करेगा:

परन्तु कोई होटलवाला, जो वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत है, वह रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक मास के भीतर सामान्य दरें घोषित करेगा और उसे विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारिता रखने वाले विलास कर अधिकारी को सूचित करेगा।”

3. नियम 5ख का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के इस प्रकार प्रतिस्थापित नियम 5क के पश्चात् और विद्यमान नियम 6 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 5ख अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“**5ख. सामान्य दरों के ब्यौरे का प्रदर्शित किया जाना.-** प्रत्येक होटलवाला होटल में उपलब्ध विलासों के समस्त प्रवर्गों के लिए इन नियमों के नियम 5क के अधीन उसके द्वारा नियत सामान्य दरों का संपूर्ण ब्यौरा उपदर्शित करने के लिए अपने होटल के सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगाएगा।”

4. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 में,-

- (i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “प्ररूप मूपक-10, प्ररूप मूपक-10क और प्ररूप मूपक-11” के स्थान पर अभिव्यक्ति “प्ररूप मूपक-10 और प्ररूप मूपक-10क” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-नियम (2) का विद्यमान खण्ड (ग) हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-211]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.281.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-38 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, दिनांक 01.04.2016 से, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि किसी होटलवाले द्वारा अधिनियम के अधीन संदेय कर, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा वर्णित विलासों की सामान्य दर वाले स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा वर्णित होटलों के वर्ग में उपलब्ध विलासों के लिए उनके प्रत्येक के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में यथा वर्णित दर पर संगणित किया जायेगा:-

क्र. सं.	होटलों के वर्ग	विलासों के लिए सामान्य दर	कर की दर
1	2	3	4
1.	भारत सरकार द्वारा "ग्रांड" प्रवर्ग में वर्गीकृत या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति द्वारा "ग्रांड" प्रवर्ग के समतुल्य वर्गीकृत किये गये हैरिटेज होटलों को छोड़कर समस्त हैरिटेज होटल	प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 3001/- रु. या उससे अधिक	8 प्रतिशत
2.	समस्त अन्य होटल उनको छोड़कर जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के अन्तर्गत नहीं आते हैं	प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 3001/- रु. या उससे अधिक किन्तु रु0 10,000/- तक	10 प्रतिशत
		प्रतिदिन या उसके भाग के लिए रु0 10,001/- या उससे अधिक	12 प्रतिशत

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-212]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.282.-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, और उक्त धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाए क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन्हें तुरंत प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 27 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“27. अपील प्राधिकारी को अपील.- धारा 13क के अधीन कोई अपील राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में यथा उपबंधित रीति में, उससे संलग्न प्ररूप मूपक-27 में प्रस्तुत की जायेगी। राजस्थान मूल्य

परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 30 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”

3. प्ररूप एस-2 का हटाया जाना.- उक्त नियमों के संलग्न प्ररूप एस-2 हटाया जायेगा।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2016-213]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.283.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4 (4) एफ.डी./ टैक्स/2015-229 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) और अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकतम दस लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए 0.15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-214]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.284.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-55 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और 4 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“

3.	यदि पट्टा विलेख, किसी व्यक्ति के पक्ष में 31.5.2013 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों और 31.8.2016 को या उससे पूर्व नगरीय स्थानीय निकाय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन या आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर जारी किया गया है।	ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त प्रीमियम, विकास प्रभारों, संपरिवर्तन प्रभारों और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के भाटक की औसत रकम पर, इन शर्तों के अध्याधीन कि, - (i) संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, पट्टा विलेख पर पृष्ठांकन करेगा या इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पट्टा विलेख 31.8.2016 को या उससे पूर्व प्रस्तुत आवेदन या अभिलेख के आधार पर जारी किया गया है। (ii) पट्टा धारक अपने पट्टा विलेख के साथ सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या और निष्पादन की तारीख कथित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (iii) पट्टा विलेख 30.9.2016 को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	यदि पट्टा विलेख 31.5.2013 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों के आधार पर जारी किया गया है किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए 30.9.2016 के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है।	संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की विहित वर्तमान दरों के आधार पर संगणित मूल्य पर और यदि क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की दरें विहित नहीं की गयी हैं, तो निकटवर्ती क्षेत्र के आरक्षित मूल्य पर, इस शर्त के अध्याधीन कि पट्टा धारक अपने पट्टा विलेख के साथ सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या और निष्पादन की तारीख कथित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

”

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-215]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.285.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर की क्षेत्रीय अधिकारिता में

अवस्थित स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये गये या निष्पादित किए गये आवासीय भूमि के पट्टा विलेख या विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र. सं.	ब्यौरे	हस्तान्तरण पत्र की दर पर संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	11.07.2013 के पूर्व निष्पादित पट्टा विलेख या विक्रय विलेख और ऐसे विलेख की रजिस्ट्रीकरण की कालावधि 11.07.2013 से 02.03.2014 के दौरान समाप्त हो गई हो।	ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त प्रीमियम, विकास प्रभार और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के भाटक की औसत रकम पर।
2.	11.07.2013 से 02.03.2014 के दौरान निष्पादित पट्टा विलेख या विक्रय विलेख।	

परन्तु,-

- अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15) एफ.डी./ टैक्स/ 2014-54 दिनांक 14.7.2014, एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-55 दिनांक 14.7.2014 और एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/2012-70 दिनांक 24.07.2015 ऊपर वर्णित पट्टा विलेखों/विक्रय विलेखों पर लागू नहीं होंगी।
- ऐसे मामलों में पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

यह अधिसूचना 30.04.2016 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-216]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.286.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(14)एफ.डी./टैक्स अनु./98-52 दिनांक 09.07.1998 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक संपत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के पृथक किये गये हिस्से या हिस्सों के बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-217]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.287.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(22)एफ.डी./टैक्स/2010-96 दिनांक 09.03.2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और ऐसी लिखत द्वारा व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: “कुटुम्ब का सदस्य” से व्यवस्थापक का पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पोत्र, पोत्री, पुत्रवधु अभिप्रेत है।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-218]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.288.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(34)एफ.डी./टैक्स/2010-54 दिनांक 18.08.2010 को इसके द्वारा विखंडित करती है।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-219]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.289.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य

सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों और नगर पालिकाओं द्वारा निष्पादित आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर क्रमशः 50/- रुपये और 100/- रुपये प्रभारित किया जायेगा:-

- (क) यह कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति की दशा में, वार्षिक आय 1,50,000/- रु. से अधिक नहीं है और आवासीय इकाई का सुपर बिल्ट अप एरिया 350 वर्गफुट से अधिक नहीं है; और
- (ख) यह कि निम्न आय समूह के व्यक्ति की दशा में, वार्षिक आय 1,50,001/- रु. से कम नहीं है और 3,00,000/- रु. से अधिक नहीं है और आवासीय इकाई का सुपर बिल्ट अप एरिया 550 वर्गफुट से अधिक नहीं है।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-220]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.290.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि दिनांक 09.03.2015 से पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी और नवीकृत बैंक गारंटी की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और क्रमशः एक हजार रुपये और एक सौ रुपये प्रभारित किया जायेगा किन्तु पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-221]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.291.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(15)एफ.डी.टैक्स/2014-50 दिनांक 14.07.

2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 या, यथास्थिति, किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन जारी भू-उपयोग परिवर्तन और भू-संपरिवर्तन के आदेशों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा :-

- (i) प्रत्येक मामले में न्यूनतम 500 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रभारों या फीस की रकम के 5 प्रतिशत की दर पर; और
- (ii) प्रत्येक मामले में न्यूनतम 500 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, भू-संपरिवर्तन प्रभारों की रकम के 3 प्रतिशत की दर पर।

स्पष्टीकरण :

- (i) भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश पर संदत्त स्टाम्प शुल्क, ऐसे आदेश के अनुसरण में पट्टा विलेख के निष्पादन के समय पट्टा विलेख पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा;
- (ii) यह अधिसूचना कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष समुचित स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित भू-उपयोग परिवर्तन और भू-संपरिवर्तन आदेशों और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी आदेशों पर भी लागू होगी; और
- (iii) पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-222]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.292.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15)/एफडी/टैक्स/2014-51 दिनांक 14.07.2014 को इसके द्वारा विखंडित करती है।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-223]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.293.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 09.03.2015 को या उसके पश्चात् निष्पादित बैंक गारंटी के नवीकरण की लिखतों पर एक हजार रुपये से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा किन्तु पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-224]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.294.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) और अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य दस लाख रुपये से अधिक स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-225]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.295.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद

35-ख के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या भागीदारी फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन संबंधी लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और एक प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-226]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.296.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विद्यार्थी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित दस लाख रुपये तक के ऋण की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.3.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.297.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या विद्यार्थी, जो राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2015 के अधीन सहायता प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा स्टार्ट-अप की स्थापना के प्रयोजन के लिए निष्पादित दस लाख रुपये तक के ऋण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.3.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.298.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि माइक्रो यूनिट्स डवलपमेण्ट एण्ड रिफाइनेंस एजेन्सी (मुद्रा) की स्कीम के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित दस लाख रुपये तक के रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट या अवधि ऋण की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.3.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.299.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वरिष्ठ नागरिक द्वारा निष्पादित प्रतिगामी बंधक की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का निम्नलिखित शर्तों पर परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-

- (i) यह कि वरिष्ठ नागरिक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;
- (ii) यह कि विवाहित दम्पति संयुक्त उधार लेने वाले के रूप में पात्र होंगे यदि उनमें से एक 60 वर्ष से अधिक की आयु का हो और दूसरा 55 वर्ष की आयु से कम का न हो।

यह अधिसूचना दिनांक 31.3.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.300.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 35 और 36 के अधीन कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा अवधारित स्टाम्प शुल्क की रकम पर लिखत के निष्पादन की तारीख से कलक्टर (स्टाम्प) के आदेश की तारीख तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 72 के अधीन प्रभार्य ब्याज का परिहार किया जायेगा किन्तु पहले से संदत्त ब्याज का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-231]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.301.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-152 दिनांक 09.03.2011 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “पर संनिर्माण, उसके विकास” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पर संनिर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो)” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-232]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.302.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है

कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजनों के लिए, स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय करार, प्रशमन, बंधक, निर्माण, मुख्तारनामा और पट्टे की, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, को किसी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण, या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित करार या करार के ज्ञापन की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-233]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.303.—राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 23 का संशोधन.— राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 23 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक में विहित सीमा अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता जो ई-स्टाम्प विक्रय करने के लिए भी प्राधिकृत है, के लिए एक लाख रुपये होगी।”

3. नियम 58 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 58 के विद्यमान उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (5) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(5) उपर्युक्त उप-नियम (1), (2), (3) और (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, आदेश द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष या वर्षों के लिए कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों का पुनरीक्षण निलंबित कर सकेगी।”

4. नियम 67ख का अन्तःस्थापन.— उक्त नियमों के विद्यमान नियम 67क के पश्चात् और विद्यमान नियम 68 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 67ख अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“67ख. आदेशों, समन या नोटिस की तामील की रीति.— अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी आदेश, समन या नोटिस की तामील निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक से की जा सकेगी, अर्थात् :-

- (क) संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उसकी प्रति देकर या निविदत्त करके; या
- (ख) यदि खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्ति को सुगमता से पाया नहीं जा सकता हो तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को उसकी प्रति देकर या निविदत्त करके; या
- (ग) यदि ऐसे व्यक्ति का पता संबंधित प्राधिकारी को ज्ञात है तो उसकी प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से भेजकर; या
- (घ) यदि उपर्युक्त रीतियों में से कोई भी रीति साध्य नहीं हो तो उसके कारबार के या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर उसकी प्रति चस्पा करके या राज्य स्तरीय समाचारपत्र में प्रकाशित करके; या
- (ङ) ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल पते के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को ऐसे आदेश, समन या, यथास्थिति, नोटिस की अन्तर्वस्तु भेजकर।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-234]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.304.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4 (4)एफ.डी./टैक्स/2015-226 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 7 के विद्यमान उप-खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

- “(iii) 500 वर्गमीटर या वह भाग जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिये उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य, और शेष भाग के लिये उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य जहां फॉर्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर या अधिक है।”

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-235]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.305.—राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2015-225 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और 4 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

3.	छत के अधिकार के बिना तहखाना (बेसमेण्ट) पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत
4.	छत के अधिकार के बिना तृतीय या उससे ऊपर के तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 40 प्रतिशत
5.	छत के अधिकार के साथ किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-236]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.306.—राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2015-231 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

3.	कच्चा/मिट्टी और केलुपोश सन्निर्माण	रु. 250/- प्रति वर्ग फुट
----	------------------------------------	--------------------------

(ii) विद्यमान सारणी के नीचे निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण:** उपर्युक्त सारणी में वर्णित किसी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले संनिर्माण का बाजार मूल्य महानिरीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।”

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-237]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
आदेश**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.307.—राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वर्ष 2016-17 के लिए कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों को जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा किन्तु उन जिलों में जहां जिला स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसी दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है, उपर्युक्त प्रवर्गों की भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण उक्त नियम के उप-नियम (3) के अनुसार 10 प्रतिशत वृद्धि करने के पश्चात् किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-238]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना**

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.308.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ.2(47)एफ.डी./टैक्स/09-04 दिनांक 09.04.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष अनुच्छेद-I के अधीन क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “अधिकतम पचास हजार रुपये के अध्यक्ष रहते हुए” हटायी जायेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-239]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.309.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(17)एफडी/टैक्स/2010-73 दिनांक 04.10.2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में,-

(i) क्रम संख्यांक 16 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति

“xxi. पावटा	उप तहसील पावटा”
-------------	-----------------

के पश्चात् अभिव्यक्ति

“xxii. कालवाड़	उप तहसील कालवाड़”
----------------	-------------------

जोड़ी जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 17 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति

“vi. फलसूण्ड	उप तहसील फलसूण्ड”
--------------	-------------------

के पश्चात् अभिव्यक्तियां

“vii. रामगढ़	उप तहसील रामगढ़
viii. नोख	उप तहसील नोख
ix. सम	उप तहसील सम”

जोड़ी जायेगी।

2. सारणी के नीचे आये विद्यमान टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण:** अजमेर, जयपुर और जोधपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिलों की उप तहसीलों के मामलों को छोड़कर, उप तहसीलों की सीमायें उनकी तत्संबंधी तहसीलों की सीमाओं में सम्मिलित नहीं की जायेंगी जहां ऐसी उप तहसीलों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के अधीन स्वतंत्र रजिस्ट्रीकरण उप जिला घोषित किया गया है।”

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-240]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.310.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस

विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.2(17)एफडी/ टैक्स/2010-74 दिनांक 04.10.2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में,-

(i) क्रम संख्यांक 16 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति

“xxxv. नायब तहसीलदार, पावटा	पावटा”
-----------------------------	--------

के पश्चात् अभिव्यक्ति

“xxxvi. नायब तहसीलदार, कालवाड़	कालवाड़”
--------------------------------	----------

जोड़ी जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 17 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति

“vi. नायब तहसीलदार, फलसूण्ड	फलसूण्ड”
-----------------------------	----------

के पश्चात् अभिव्यक्तियां

“vii. नायब तहसीलदार, रामगढ़	रामगढ़
-----------------------------	--------

viii. नायब तहसीलदार, नोख	नोख
--------------------------	-----

ix. नायब तहसीलदार, सम	सम”
-----------------------	-----

जोड़ी जायेंगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-241]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.311.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12 (22) एफ.डी./ टैक्स/10-99 दिनांक 09.03.2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ), अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 30 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) और अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य पच्चीस हजार रुपये से अधिक रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-242]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.312.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(262)परि/टैक्स/एचक्यू/07/9एफ-167 दिनांक 09.03.2007 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 की मद (ख) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “4,000/- + 10,00,000 रु. से अधिक की हार्स के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु.” के स्थान पर अभिव्यक्ति “4,000/- रु. + दस लाख रु. से अधिक की हार्स की लागत का 0.15 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 की मद (घ) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “5,050/- + 10,00,000 रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु.” के स्थान पर अभिव्यक्ति “5,050/- रु. + दस लाख रु. से अधिक के यान की लागत का 0.15 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) सारणी के नीचे आया विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

[सं.प.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/9जी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.313.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/ टैक्स/एचक्यू/95/25 दिनांक 31.03.2006 में इसके द्वारा 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “25,000 रु.” के स्थान पर अभिव्यक्ति “32,000 रु.” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/25सी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.314.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1आर दिनांक 14.07.2014 में, तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 के विद्यमान खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

(ग) इंजन क्षमता वाले चार पहिया यान	
डाइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की बैटक क्षमता वाले	
(i) 800 सीसी तक	
(क) पेट्रोल	यान की लागत का 4 प्रतिशत
(ख) डीजल	यान की लागत का 6 प्रतिशत
(ii) 800 सीसी से अधिक और 1200 सीसी तक	
(क) पेट्रोल	यान की लागत का 7 प्रतिशत
(ख) डीजल	यान की लागत का 9 प्रतिशत
(iii) 1200 सीसी से अधिक	
(क) पेट्रोल	यान की लागत का 8 प्रतिशत
(ख) डीजल	यान की लागत का 10 प्रतिशत

”

- (ii) विद्यमान परन्तुक (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “मोटर कैब या मैक्सी कैब” जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति “मोटर कैब या मैक्सी कैब या प्राइवेट सेवा यान” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1यू]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.315.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3

दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 4 और 5 और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

- “4. 7500 किग्रा से अधिक और 12000 किग्रा तक सकल यान भार वाले माल यान के समस्त प्रवर्ग।
5. ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की बैठक क्षमता वाले समस्त प्राइवेट सेवा यान।”

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27ए]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.316.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/09/24सी दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए ग्रीन कर के नाम से उपकर की दर, स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-विनिर्दिष्ट समय पर, उसके स्तम्भ संख्यांक 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की दर (रुपये में)
1	2	3	4
1.	गैर-परिवहन यान		
	(क) दुपहिया	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की	500
	(ख) डीजल चलित चार पहिया यान (कार, जीप)		
	(i) 1500 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान		2000
	(ii) 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान		3000
	(iii) 5 तक की सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से		4000

	अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान	उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	
	(iv) 5 से अधिक सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
	(ग) उपर्युक्त गैर परिवहन यानों से भिन्न		1000
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	
	(क) दुपहिया यात्री यान/ तिपहिया यात्री और माल यान		300
	(ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न यान		
	(i) हल्के मोटर यान		
	(क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो		1000
	(ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		1500
	(ii) हल्के मोटर यान से भिन्न		
	(क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो		1500
	(ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		2000

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू/95/24डी]
राज्यपाल के आदेश से

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.317.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(266)परि/टैक्स/एच.क्यू/2006/8636-79, दिनांक 15.05.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इाइवर को

सम्मिलित करते हुए 12 से अधिक की बैठक क्षमता वाले स्लीपर कोच से भिन्न, वातानुकूलित यात्री यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन 12,500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक संदेय विशेष सड़क कर से, निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए, इसके द्वारा छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- (i) यह कि यान राजस्थान राज्य में पर्यटक परिवहन संचालक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होगा;
- (ii) यह कि यान का पर्यटक परमिट मान्यता प्राप्त पर्यटक संचालक के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा; और
- (iii) यह कि पर्यटक परिवहन संचालक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स से मान्यता प्राप्त होगा और परिवहन आयुक्त द्वारा इसी रूप में अनुमोदित होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी और 30.04.2018 तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.318.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, केवल विद्युत बैट्री से चलने वाले यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4-घ के अधीन संदेय कर से इसके द्वारा, छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27सी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.319.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित,

अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एच दिनांक 01.03.2002 में, इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के खण्ड (1) की मद (ख) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “20,000/- रु. + 10 लाख रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50 रु.” के स्थान पर अभिव्यक्ति “20,000/- रु. + दस लाख रु. से अधिक की हार्स की लागत का 0.15 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के खण्ड (2) की मद (घ) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “8,300/- रु. + 10 लाख रु. से अधिक के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु.” के स्थान पर अभिव्यक्ति “8,300/- रु. + दस लाख रु. से अधिक के यान की लागत का 0.15 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एम]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

एस.ओ.320.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.07.2014 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम संख्यांक 2 की मद (क) के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “(अधिकतम रु. 2.00 लाख के अध्यक्षीन)” हटायी जायेगी;
- (ii) क्रम संख्यांक 2 की मद (ख) के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “(अधिकतम रु. 2.00 लाख के अध्यक्षीन)” हटायी जायेगी;
- (iii) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ संख्यांक 2 में, मद (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “9 तक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “12 तक” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iv) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ संख्यांक 2 में, मद (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “9 से अधिक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “12 से अधिक” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (v) क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “9 प्रतिशत” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22डी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.321.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स /एचक्यू/95/11के दिनांक 31.03.2006 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के नीचे आये परन्तुक के विद्यमान खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “25,000 रु.” के स्थान पर अभिव्यक्ति “32,000 रु.” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) सारणी के नीचे आये परन्तुक के विद्यमान खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

“(8) सारणी के खण्ड (2) के उप-खण्ड (v), (vi), (vii) या (viii) में विनिर्दिष्ट और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक संस्था के साथ गैर-अस्थायी नियत संविदा के अधीन अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यानों पर विशेष सड़क कर स्तम्भ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने यथा वर्णित दर की 50 प्रतिशत की दर पर, अधिकतम 12,500/- रु. प्रति मास के अध्यक्षीन रहते हुए, संदेय होगा;

(9) परन्तुक के खण्ड (8) में विनिर्दिष्ट कोई यान यदि समुचित परमिट के बिना चलते हुए पाया जाता है तो वे खण्ड (4) में यथा विनिर्दिष्ट कर का दो गुना संदाय करने का दायी होगा।”

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11एन]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.322.—राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(59)परि/टैक्स/एचक्यू/05 दिनांक 01.11.2010 और एफ.6(59)परि/टैक्स/एचक्यू/05 दिनांक 27.4.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना या अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना या राजस्थान मेघावी छात्रा प्रोत्साहन योजना के अधीन मुफ्त वितरित किये जा रहे दो पहिया यानों को, उक्त अधिनियम की धारा 4, 4-घ और 4-ड के अधीन संदेय एकबारीय कर, ग्रीन कर और अधिभार के संदाय से तुरंत प्रभाव से, इसके द्वारा, छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27डी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016**

एस.ओ.323.—राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ 7(94)परि/ नियम/मु0/94/644 दिनांक 27.04.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना या अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना या राजस्थान मेघावी छात्रा प्रोत्साहन योजना के अधीन मुफ्त वितरित किये गये दुपहिया यानों को, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 81 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27ई]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

Jaipur, March 8, 2016

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(11)FD/Tax/2016-182 to 213, No.F.4(6)FD/Tax/2016-214 to 242 and F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/9G, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25C, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1U, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27A, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/24D, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27C, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22D, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/11N, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27D and F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27E dated March 08, 2016.

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.251.- In exercise of the powers conferred by section 99 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) The provisions of,-

- (i) rule 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24 of these amendment rules shall come into force with effect from 01.04.2016; and
- (ii) rule 9, 14 and 16 of these amendment rules shall come into force with effect from 01.07.2016.

2. Amendment of rule 17A.- In rule 17A of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules,-

- (i) after the existing sub-rule (1) and before the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (1A) shall be inserted, namely:-

“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any registered dealer, commonly known as developer or builder, who as works contractor, undertake the construction of flats, dwellings or buildings or premises and transfer them along with goods (whether as goods or in some other form) and land or interest underlying the land in pursuance of an agreement, may opt for payment of tax in lump sum in accordance with the provisions of section 5 for any project undertaken by him, by submitting an application in Form VAT-69A electronically through the official web-site of the department within thirty days from the commencement of such project. Separate application shall be made for each project.

Explanation: Commencement of Project means the date on which any amount is received, against an agreement related to projects, from the purchaser.”

- (ii) after the existing sub-rule (8) and before the existing sub-rule (9), the following new sub-rule (8A) shall be inserted, namely:-

“(8A) The developer or builder shall not be allowed to opt out for the project(s) for which an option has been exercised by him:

Provided that the developer or builder who had opted for payment of tax in lump sum in lieu of tax prior to 01.04.2016, he may opt-out upto 30.04.2016, otherwise, the certificate for payment of tax in lump sum issued earlier shall remain in force for the projects already undertaken by him.”

3. Amendment of rule 19.- In rule 19 of the said rules,-

- (i) the existing sub-rule (4) shall be substituted by the following, namely:-

“(4) Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers other than those registered under the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 1999 (Act No.13 of 1999) and/or the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996),-

- (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or
- (b) who are exclusively engaged in the sale and purchase of exempted goods; or
- (c) who are exclusively engaged in the sale of goods which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section 4 and such goods have suffered tax at maximum retail price at earlier occasion under the said sub-section; or
- (d) who are exclusively engaged in the sale of goods which are taxable at first point in the series of sales and such goods have suffered tax at the said first point; or
- (e) who are exclusively engaged in the sale of such goods for which payment of tax in lump sum under section 5 may be made and the dealer has opted to pay tax in lump sum; or
- (f) who are exclusively engaged in the sale of such goods which are exempted from payment of tax under any notification issued under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee and the dealer has opted for payment of exemption fee; or
- (g) as may be notified by the Commissioner.

Notwithstanding anything contained in clause (f) above, a contractor covered under the said clause shall submit VAT-11, where any incidental sale has been made of leftover taxable goods related to the contract for which an option has been exercised by him. He shall also submit statement of sale of such leftover goods in Form VAT-08A for the quarter in which such sales have been made by him, within sixty days of the end of the relevant quarter:

Provided that in case of dealer who is required to get his accounts audited under section 44AB of the Income Tax Act, 1961 (Central Act

No. 43 of 1961), may submit return within nine months from the end of the relevant year.” ; and

- (ii) the existing sub-rule (11) shall be substituted by the following, namely:-

“(11) Where a dealer who had opted for, payment of tax in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3 or payment of lump sum in lieu of tax in accordance with section 5, and opted out from the said option before the end of a year, such dealer shall submit the details of turnover from the beginning of year upto the date of opting out, in the return in Form VAT-10 pertaining to the quarter in which he opted out and shall not be required to submit returns for the previous quarter(s) of that year.”

4. Amendment of rule 21.- In rule 21 of the said rules,-

- (i) for the existing punctuation mark “.” appearing at the end of sub-rule (8), the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) in sub-rule (8), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, for the reasons to be recorded in writing, in any particular case, may allow the dealer for submission of such application upto a period of one year from the date of generation of such declaration form or upto 30.09.2016, whichever is later.”

5. Amendment of rule 22A.- The existing sub-rule (7) of rule 22A of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“(7) Where any dealer commonly known as developer or builder has opted for payment in lump sum in lieu of tax under section 5 of the Act, awards any works contract to any person, he shall obtain awarder identification certificate, and shall at the time of payment of any sum to any person not registered under the Act, deduct an amount as may be notified by the State Government in the manner as provided in rule 40 of these rules, and all the provisions of the said rule shall *mutatis mutandis* apply.”

6. Amendment of rule 27.- In rule 27 of the said rules,-

- (i) the existing sub-rule (6) shall be substituted by the following, namely:-

“(6) Unless otherwise directed by the Commissioner, the assessing authority or the authorized officer shall submit the digitally signed Form VAT-23 electronically through the official website of the Department to an officer authorized by the Commissioner as Central Refund Officer within two working days of passing of such order.”; and

- (ii) the existing sub-rule (7) shall be deleted.

7. Amendment of rule 38.- In rule 38 of the said rules,-

- (i) in clause (i) of sub-rule (2), for the existing expression “signature”, the expression “signature or digital signature” shall be substituted; and
- (ii) in clause (e) of sub-rule (7), for the existing expression “signature”, the expression “signature or digital signature” shall be substituted.

8. Amendment of rule 40. - In rule 40 of the said rules,-

- (i) in sub-rule (6), the existing expression “, and shall issue a certificate of deduction of tax to the contractor in Form VAT-41, within twenty one days of the close of the relevant quarter” shall be deleted;

- (ii) in sub-rule (7), for the existing expression “within fifteen days of the receipt of such application,” the expression “within thirty days of the receipt of such application,” shall be substituted;
- (iii) the existing sub-rule (8) shall be substituted by the following, namely:-
“(8) Every awarder holding an Awardee Identification Certificate shall deposit the amount deducted by him in the manner as provided in rule 39 of these rules, within fifteen days of the close of the month of such deduction.”;
- (iv) after the sub-rule (8), so substituted and before the existing sub-rule (9), the following new sub-rules (8A) and (8B) shall be inserted, namely:-
“(8A) Every awarder holding an Awardee Identification Certificate, shall submit a statement in Form VAT-40E electronically through the official website of the department to the officer authorized under sub-rule (1), within thirty days of the end of the quarter. Where the awarder fails to furnish the statement as mentioned above, the said officer after affording a reasonable opportunity of being heard, may impose penalty under section 64 of the Act.
(8B) Where an awarder discovers any omission or error in the Form VAT-40E furnished by him, he may furnish a revised Form VAT-40E within three months from the close of relevant year.”;
- (v) the existing sub-rule (11), shall be substituted by the following, namely:-
“(11) On receipt of Form VAT-40E, the certificate of deduction of tax in Form VAT-41 shall be generated and forwarded to the contractor and to the officer authorized under sub-rule (1) electronically through the official web-site of the department. In case, Form VAT-40E is revised by the awarder, a revised Form VAT-41 shall be generated electronically through the official web-site of the department, and the previously generated Form VAT-41 shall be cancelled.”; and
- (vi) the existing sub-rule (12), (13), (14), (15) and (16) shall be deleted.

9. Amendment of rule 47.— The existing sub-rule (1) of the rule 47 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“(1) The audit of a dealer shall be conducted by the auditor,-

- (i) at the place of the business of the dealer; or
(ii) in the office of the auditor,

as per the option of the dealer. An intimation shall be given to the dealer electronically through the Official Website of the Department regarding his selection for audit under section 27 of the Act and he shall be required to inform his option electronically through the official website of the Department, within fifteen days of such intimation regarding the place where he wants the audit to be conducted. Where the dealer fails to inform such option, audit shall be conducted at place of business of the dealer.”

10. Amendment of Form VAT-03.— In Form VAT-03 appended to the said rules, for the existing expression “opted under section 3(2) or 5 (1)”, the expression “opted under section 3(2)” shall be substituted.

11. Amendment of Form VAT-06B. - In Form VAT-06B appended to the said rules, for the existing expression “3. Balance of ITC at the date of exercising option”, the expression “3. Balance of ITC as on 31st March of the previous year” shall be substituted.

12. Amendment of Form VAT-10.-In Form VAT-10 appended to the said rules, after the existing sub-item number “1.1 Turnover under section 8(3)[Works Contract EC]” and table thereto and before the existing sub-item number “1.2 Turnover under section 5(1) of RVAT Act (Composition Schemes)” of item B.1 Tax Liability of head “B. Turnover”, the following new sub-item number 1.1.A and 1.1.B and entries thereto shall be inserted, namely:-

“1.1.A. Detail of purchases (to be filled in case of works contract)

1.1.A.1 Particulars of purchases made within the state against VAT Invoice

S. No.	TIN	Name of the selling dealer	Amount of purchases made during the period	Amount of Tax paid or payable on such purchases

1.1.A.2 Particulars of purchases made within the state on which tax has not been paid under the Act

S. No.	Commodity	Name of the dealer or person from whom goods have been purchased	Amount of purchases made during the period	Rate of Tax	Amount of Tax that would have been payable on such purchases had the goods been purchased against VAT Invoice

1.1. A.3 Particulars of purchases made from outside the State

S. No.	Commodity	Name of the dealer or person from whom goods have been purchased	Amount of purchases made during the period	Rate of Tax	Amount of Tax that would have been payable on such purchases had the goods been purchased against VAT Invoice

1.1.B Turnover of taxable leftover goods

S.No.	Name of Commodity	Turnover (Rs.)	Tax Rate	Amount of tax
	A	b	C	D

13. Amendment of Form VAT-11.- (i) after the existing sub-item number “1.1.A.3 Particulars of Purchase made from outside the State” and table thereto, and before the existing sub-item number “1.2 Turnover under section 5(1) of RVAT Act (Composition Schemes)” of head “B. Turnover”, the following new sub-item number 1.1.B and entries thereto shall be inserted, namely:-

“1.1.B Turnover of taxable leftover goods

S.No.	Name of Commodity	Turnover (Rs.)	Tax Rate	Amount of tax
	A	B	C	D

(ii) after the existing sub-item number “1.2 Turnover under section 5(1) of RVAT Act (Composition Schemes)” and table thereto and before the existing sub-item number “1.3 Taxable Sales by dealers who have opted for payment of tax under section 3 (2) of head “B. Turnover”, the following new sub-item number 1.2.A and entries thereto shall be inserted, namely:-

“1.2 A To be filled by developer or builder

S. No.	Name of Project	Site of the project	Details of certificate for payment of tax in lump sum		Amount received	Composition amount
			No.	Date		
1	2	3	4	5	6	7

14. Substitution of Form VAT-20.- The existing Form VAT-20 appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“VAT-20
[See Rule 27(1) (a) and (2)(a)]
Application For Refund

For the quarter: From To

To
AC/CTO/ACTO
Circle/Ward

Tick the appropriate Act under which refund is sought	The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003	
	The Central Sales Tax Act, 1956	
	The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999	
	The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990	
	The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957	
1.	Name of Dealer	
2.	TIN	
3.	Address	
4.	Details of Bank	
	4.1	Name of the Bank in which refund is sought
	4.2	Name of the Branch
	4.3	Account No.
	4.4	Account Type
	4.5	IFSC of Branch
4.6	Whether the branch has CBS arrangement	Yes No

5.	Amount of refund claimed and reason(s) thereof.								
	a. Result of assessment order								
	i. Period	From To							
	ii Date of Order	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
	b. as a result of order of competent officer/Authority /the Court								
	i Name of Authority								
ii Date of Order	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	

Place
Date

Signature
Name and status

Declaration

I/We.....Proprietor/Partner/Director/Karta/Business Manager of M/s.....declare that the facts stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed. It is further declared that for the above referred period no other application for refund has been filed.

Place
Date

Signature
Name and Status”

15. Amendment of Form VAT-20A.- In Form VAT-20A appended to the said rules, after the existing item number 13, the following new item number 14 shall be added, namely:-

14.	Details of Bank		
	14.1 Name of the Bank in which refund is sought		
	14.2 Name of the Branch		
	14.3 Account No.		
	14.4 Account Type		
	14.5 IFSC of Branch		
14.6 Whether the branch has CBS arrangement	Yes	No	

16. Substitution of Form VAT-27.- The existing Form VAT-27 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“Form VAT-27
[See rule 30(1)]

Memorandum for Appeal to Appellate authority

To,
Appellate Authority,
Commercial Taxes Department,
.....

Tick the appropriate Act under which intends to file an appeal	The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003
	The Central Sales Tax Act, 1956
	The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999
	The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990
	The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957

1.1	Name of Appellant					
1.2	Registration No. /(TIN), if any					
2.	Address					
2.1	Building No./ Name					
2.2	Area/ Town and City					
2.3	District					
2.4	PIN code					
2.5	E-mail id					
		RVAT Act, 2003	CST Act, 1956	RETLA, 1999	Luxury Act, 1990	Entertainment Act, 1957
3.	Date of service of order appealed against, DD/MM/YYYY					
4.	Section, under which order passed					
5.	Period to which dispute relates From To					
6.	Relief claimed in the appeal:					
a.	Total liability including Tax, Interest and Penalty					
(i)	Determined by the authority					
(ii)	Admitted by the appellant					
(iii)	Disputed by the appellant					
Or/ and						
b.	Disputed by the appellant					
(i)	Disputed turnover					
(ii)	Tax due on disputed turnover					
Or/ and						
c.	If rate of tax is disputed					
(i)	Turnover					
(ii)	Amount of disputed tax					
Or/and						
d.	If amount of Penalty /Interest is disputed					
(i)	Section under which Penalty/ Interest is disputed					
(ii)	Amount of penalty in dispute					

Place: Signature
Date: Name of Applicant (s):
Status with Seal

Verification

I/ We verify that the above information and its enclosures are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Place: Signature
Date: Name of Applicant (s):
Status with Seal”

18. Substitution of Form VAT-40C.- The existing Form VAT-40C appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

**“VAT-40C
[See Rule 40 (7)]**

Application for issuance of No Tax Deduction Certificate

To,
Assessing Authority,
Circle....
Zone.....

I, Status, of M/s
TIN E-mail idsubmit the application for
grant of No Tax Deduction Certificate for the following contracts:

S. No.	Work Order Number	Work Order Date	AIN of Awarder	Name of the Awarder	Nature and details of the contract	Total value of the contract	Date by which the contract is undertaken to be completed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Place : Signature
Date : (Authorized person)

Verification

I verify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Place: Signature:
Date: Name:
Status:”

19. Amendment of Form VAT-40D.- In Form VAT-40D appended to the said rules,-

- for the existing expression “his chief place of business”, the expression “his principal place of business” shall be substituted; and
- for the existing expression “Chief place of business”, the expression “Principal place of business” shall be substituted.

20. Substitution of Form VAT-40E.- The existing Form VAT-40E appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“FORM VAT-40E

[See Rule 40(8)]

Statement of works contract and tax deducted to be furnished by the awarder

To,

Assessing Authority,

Circle....

Zone.....

1. Name of the Awarder
 2. Awarder Identification No.
 3. Address
Bldg. No/ Name/Area
Town/City
District (State)
Pin Code
 4. Period under return
- E-mail id
Fax No.

PART A

Information of works contract entered into during the quarter

S.No.	Work Order Number	Work Order Date	Nature and details of the contract	Total value of the contract	Name and address of the Contractor	TIN of the Contractor, if any	Date by which the contract is undertaken to be completed	Details of the goods to be supplied by the awarder under the contract and the value thereof
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PART B

Details of Tax deducted at source by awarder during the quarter

S. No.	Work Order Number	Work Order Date	Nature of the contract	Gross value of the contract	Bill No. & Date	Amount of the Bill	EC No. of Contractor, if any	Amount deducted at source	Voucher No. and date of credit of payment to the contractor	Gross amount of challan & date on which tax deducted at source was deposited to the account of the Commercial Taxes Department	Treasury voucher Number for payments made through AG Adjustment /GRN/ CIN	Tin of Contractor, if any	Name of Contractor	Rate in lieu of VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PART C

Details of tax deposited by contractor, if any

S. No.	Date of the contract	Nature of the contract	Gross value of the contract	Bill No. & Date	Amount of the Bill	Amount deposited by contractor	Date of deposition of tax by contractor	GRN / CIN	TIN of Contractor	Name of Contractor	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PART D

Details of No Tax Deduction Certificate submitted by contractor

S. No.	Date of the contract	Nature of the contract	Gross value of the contract	Certificate No. of NTDN	Date of Issue of NTDN	Issuing Authority	TIN of Contractor	Name of Contractor	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21. Substitution of Form VAT-41.- The existing Form VAT-41 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“FORM VAT-41
[See Rule 40(11)]

Certificate of deduction at source by Awarder

Form No.

Date of Issue:

Name of Contractor	
Registration No. (TIN), if any	
Address	
Name of the Awarder	
Awarder Identification No.	
Address	
Amount paid to the contractor	
Amount of TDS	

Details of Tax deducted at source by awarder

S. No.	Work Order Number	Work Order Date	Nature of the contract	Gross value of the contract	Bill No. & Date	Amount of the Bill	EC No. of Contractor, if any	Amount deducted at source	Voucher No. and date of credit of payment to the contractor	Gross amount of challan & date on which tax deducted at source was deposited to the account of the Commercial Taxes Department
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

22. Deletion of Form VAT-42.-The existing Form VAT-42 appended to the said rules shall be deleted.

23. Insertion of Form VAT-69A.- After the existing Form VAT-69 and before the existing Form VAT-70 appended to the said rules, the following new Form VAT-69A shall be inserted, namely:-

“FORM VAT-69A

(See Rule 17A)

Application for permission to pay tax in lump sum for developer or builder

To,
The Assessing Authority

I submit my application as follows for the grant of permission to pay tax in lump sum under rule 17A of Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 for the period commencing from _____ .

The Details of my business are as under :

1. TIN
2. Name of the Applicant :
3. Name of the Dealer :
4. Address :
5. E-mail id:
6. Contact Number :
7. Detail of the project :
 - a. Name of Project :
 - b. Site Address of the project :
 - c. Estimated cost of project :
 - d. Estimated period of completing project from..... to
8. Name of project approving authority :

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed and I shall abide by all the conditions specified in relevant rule.

Place :
Date :

Signature :
Designation : ”

24. Substitution of Form VAT-70.- The existing Form VAT-70 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“FORM VAT 70

(See Rule 17A)

Certificate for payment of tax in lump sum

1. TIN:
2. Name of the applicant:
3. Name and address of the dealer:
4. E-mail id:
5. Mobile No.:
6. Part-A : Applicable for dealers other than developer or builder :
Commodities for which permission to pay tax in lump sum is granted:
Part-B : Applicable for developer or builder :

Name of Project	Estimated cost	Site of project

This certificate shall remain in force till the dealer opted out from the option of payment of tax in lump sum or the dealer has closed the business or certificate is cancelled, whichever is earlier.

Place :

Date :

SEAL

Signature :

Name :

Designation : ”

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-182]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.252.-In exercise of the powers conferred by clause (8) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification number F.12(52)FD/Tax/09-pt-113 dated 31.12.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, after the existing serial number 14 and entries thereto the following new serial number and entries thereto shall be added, namely:-

" 15. All types of used motor Vehicles "

This shall have effect from 01.04.2016.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-183]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.253.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule I appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule I appended to the said Act,-

- (i) the existing serial number 22 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

22.	Indigenous handmade musical instruments, components and parts thereof, ghungghru	
-----	--	--

- (ii) the existing serial number 34 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

34.	Unbranded toast and unbranded rusk, Bread (branded or otherwise) excluding pizza bread	
-----	--	--

- (iii) the existing serial number 37 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

37.	Pappad, Pappad Khar, Bari, Mangori and Khakhra	
-----	--	--

- (iv) the existing serial number 69 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

69.	Articles of marble up to Rs. 1000/- per item.	
-----	---	--

- (v) the existing serial number 77 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

77.	Gwar Seed, Gwar Dal, Dhencha and Punwad	
-----	---	--

- (vi) the existing serial number 92 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

92.	Kerosene lamp, hurricane lantern, kerosene wick stove, kerosene pressure stove, accessories & parts thereof	
-----	---	--

- (vii) the existing serial number 107 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

107.	Solar energy equipment and solar torch	
------	--	--

- (viii) the existing serial number 120 and entries thereto shall be deleted; and

- (ix) after the existing serial number 148 and entries thereto, the following new serial numbers and entries thereto shall be added, namely:-

149.	Bio mass stove	
150.	Lai	
151.	Pattu	
152.	Camphor	
153.	Saw Dust	
154.	Sugarcane	
155.	Sattu	
156.	Sewing needle other than needles used in sewing machine	
157.	Earthen roofing tiles (kelu)	
158.	Animal Shoe and its nail	
159.	Rubber play ball and balloons	
160.	Hand-pump, its parts and fittings	
161.	Safety matches	

162.	Ganga jal and ganga arghya packed in sealed containers, not meant for drinking purpose	"
------	--	---

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-184]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.254.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule II appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule II appended to the said Act, after the existing serial number 73 and entries thereto, the following new serial number 74 and entries thereto, shall be added, namely:-

"

74.	Rajasthan Prisons Department	"
-----	------------------------------	---

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-185]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.255.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts Rajasthan Prisons Department, from tax payable on the sale of goods manufactured or produced in the workshops of the jails of the said Department, subject to the condition that such goods shall contain a label or mark as a token of proof that the goods have been manufactured or produced in workshops of jails.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-186]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.256.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendments in Schedule IV appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule IV appended to the said Act,-

- (i) the existing serial number 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

4.	All kinds of bricks other than mentioned in Schedule I, asphaltic roofing and refractory monolithic	5.5	
----	---	-----	--

- (ii) the existing serial number 6 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

6.	Sewing thread.	5.5	
----	----------------	-----	--

- (iii) the existing serial number 8 and entries thereto shall be deleted;

- (iv) the existing serial number 21 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

21.	Micronutrients, plant growth promoters and regulators, herbicides, rodenticide, insecticide and weedicide	5.5	
-----	---	-----	--

- (v) the existing serial number 41 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

41.	Disposable items made of paper or thermocol, disposable food packing containers, tooth picks, straw, aluminum house foils and tissue paper	5.5	
-----	--	-----	--

- (vi) the existing serial number 57 and entries thereto shall be deleted;

- (vii) the existing serial number 74 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

74.	Petro-max pressure lamp, glass chimney and petro-max gas mantle and accessories and parts thereof	5.5	
-----	---	-----	--

- (viii) the existing serial number 78 and entries thereto shall be deleted;

- (ix) the existing serial number 86 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

86.	Medical equipment/devices and implants including dental implants but excluding Pseudophakic Intra Ocular lens.	5.5	
-----	--	-----	--

- (x) the existing serial number 98 and entries thereto shall be deleted;

(xi) the existing serial number 107 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

107.	Processed or preserved vegetables and fruits, unbranded pickle whether sold in sealed containers or otherwise, fruit squash and fruit juice when sold loose, sharbat and thandai	5.5	
------	--	-----	--

(xii) the existing serial number 112 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

112.	Readymade garments including semi-stitched garments	5.5	
------	---	-----	--

(xiii) the existing serial number 117 and entries thereto shall be deleted;

(xiv) the existing serial number 118 and entries thereto shall be deleted;

(xv) the existing serial number 159 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

159.	All types of plastic goods including plastic grills and unbranded plastic moulded furniture but excluding plastic goods mentioned in any other Schedule	5.5	
------	---	-----	--

(xvi) in column number 2 against serial number 198, the existing expression "(Sattu)" shall be deleted.

(xvii) after the existing serial number 222 and entries thereto, the following new serial numbers and entries thereto shall be added, namely:-

223.	Measuring tape and Vernier Calipers	5.5	
224.	Electric switchgear	5.5	
225.	Health fitness, gymnastic equipments, thermal massager, fat losing belts, body vibrating items, accupressure machines, morning walker.	5.5	
226.	All types of carpets	5.5	
227.	Gwar gum and gwar gum powder	5.5	
228.	Processed betel leaf (Paan)	5.5	

(xviii) in Part A, GOODS UNDER CATEGORY OF IT PRODUCTS, the existing serial number 10 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

10.	Data storage and recording devices including Compact Disc (CD), Digital Versatile Disc (DVD), Pen Drive, SD card, Memory Card etc.	5.5	
-----	--	-----	--

(xix) In Part B, GOODS UNDER CATEGORY OF INDUSTRIAL INPUTS,-

(a) the existing serial number 180 and entries thereto shall be deleted;

(b) the existing serial number 264 and entries thereto shall be deleted; and

- (c) the existing serial number 276 and entries thereto shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-187]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.257.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendments in Schedule V appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule V appended to the said Act,-

- (i) in column number 2 against serial number 16, after the existing item (xvii) and entries thereto, the following new item (xviii) and entries thereto shall be added, namely:-

" (xviii) Branded pickles ";

- (ii) the existing serial number 27 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

27.	Furniture made from any material whether sold in assembled form or unassembled form but ready to assemble whether finished or unfinished or semi-finished, including office furniture and branded plastic moulded furniture but excluding mudhas made of sarkandas. Explanation: slotted angles, gussets, plates, panels and strips which when assembled form furniture or equipments, shall be deemed to be furniture or office equipments as the case may be, for the purpose of this item.	14.5	
-----	---	------	--

- (iii) the existing serial number 33 and entries thereto shall be deleted;

- (iv) the existing serial number 34 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

" 34. Insulated wares 14.5 ";

- (v) in column number 2 against serial number 41, the existing item (i) and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

- " (i) Measuring devices whether electronic or non-electronic, including
- (a) Screw gauge, depth gauge, coating thickness gauge, dial indicator, mitutoya cylinder gauge, precision thread ring gauge, precision plug gauge, colour compactor, industrial thermometers and parts and accessories thereof.
- (b) Dipping measures, pouring measures, conical measures, cylindrical measures
- (c) Meter scales, survey chains but excluding items mentioned in Schedule IV. "; and
- (vi) the existing serial number 52 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-
- | | | | |
|-----|---|------|--|
| 52. | Plastic carry bags and disposable items made of Plastic | 14.5 | |
|-----|---|------|--|
- ".

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-188]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.258.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule VI appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule VI appended to the said Act,-

- (i) the existing serial number 8 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

8.	All types of Motor Vehicles including two and three wheelers and their parts and accessories but excluding heavy commercial vehicles having gross vehicle weight above 12000 kilograms and tractors	15	
----	---	----	--

";

- (ii) in column number 3 against serial number 11, for the existing expression "15", the expression "20" shall be substituted;

- (iii) the existing serial number 16 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

16.	All types of yarn and waste thereof other than cotton and silk yarn in hank	2	
-----	---	---	--

";

(iv) the existing serial number 19 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

19.	Tablet computers known by whatever name like i-pad, e-book reader, phablet, slate etc. and their parts and accessories	8	
-----	--	---	--

"; and

(v) after the existing serial number 22 and entries thereto, the following new serial number 23 and entries thereto shall be added, namely:-

23.	Heavy commercial vehicles having gross vehicle weight above 12000 kilograms	13	
-----	---	----	--

".

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-189]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.259.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003) and in supersession of this Department's notification number F.12 (74) FD / Tax / 2014-79 dated 14.08.2015, the State Government hereby, with immediate effect, fixes the amount of tax payable under the said Act, as mentioned in column number 3 in respect of goods mentioned in column number 2 of the List given below, namely:-

LIST

S. No.	Item	Rate of tax
1.	2.	3.
1.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length not exceeding 60 mm	Rs. 650 per thousand
2.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length exceeding 60 mm but not exceeding 65 mm	Rs.800 per thousand
3.	Other than filter cigarettes, cigarettes of length exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm	Rs.1900 per thousand
4.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) not exceeding 60 mm	Rs.650 per thousand
5.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) of length exceeding 60 mm but not exceeding 65 mm	Rs.850 per thousand
6.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 65 mm but not exceeding 70 mm	Rs.1450 per thousand
7.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the	Rs.2000

	length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 70 mm but not exceeding 75 mm	per thousand
8.	Filter cigarettes of length (including the length of filter, the length of filter being 11 mm or its actual length whichever is more) exceeding 75 mm but not exceeding 85 mm	Rs.2500 per thousand
9.	Cigarettes of any other length not covered under serial number 1 to 8 above.	Rs.2600 per thousand

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-190]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.260.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 16.02.2016, makes the following amendment in this department's notification number F. 4(33) FD/Tax/87-02 dated 25.05.2009, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "furnishes to the selling dealer a certificate in Form VAT-72 appended to the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006," the expression "shall generate a declaration in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer." shall be substituted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-191]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.261.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 01.01.2016, makes the following amendments in this department's notification number F. 12(23) FD/Tax/2015-197 dated 09.03.2015, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) for the existing expression “condition that the selling dealer shall obtain a certificate in the form appended hereto, issued by the authorized signatory of the purchasing Airline and shall furnish the same to his assessing authority.”, the expression “condition that the purchasing Airline shall generate a declaration in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer.” shall be substituted; and
- (ii) the existing Certificate appended to the said notification shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-192]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.262.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-206 dated 09.03.2015, as amended from time to time, with effect from 01.04.2015 namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) in clause 2, after the existing sub-clause 2.3 and before the existing sub-clause 2.4, the following new sub-clause 2.3.1 shall be inserted, namely:-

“2.3.1 Where the assessing authority or the officer authorized is not satisfied regarding the category of works contract as mentioned by the dealer in the application, the assessing authority or the officer authorized shall serve a notice to the dealer to submit a revised application with change in category of works contract. Where the dealer in pursuance of the notice so issued,-

- (i) submits a revised application, the assessing authority or the officer authorized shall issue him Exemption Certificate in Form WT-2 appended to this notification in the manner as provided in the official website of the Department within ten days of receipt of revised application; and
- (ii) does not submit a revised application within the time prescribed in the notice or the revised application is not in the terms of notice,

the assessing authority or the officer authorized shall, after giving an opportunity of being heard to the dealer and after conducting such enquiry as he deems fit, if he is satisfied that the category of works contract as mentioned by the dealer is appropriate, issue him Exemption Certificate in Form WT-2, otherwise he shall reject the application by passing an appropriate order in this regard.”

(ii) in Form WT-2, the existing table given in item number 6 shall be substituted by the following, namely:-

S. No.	Description of the works contract & place of execution	Work Order Number	Work Order Date	Name and address of the Awarder	Total Value of the contract	Exemption fee (% of the total value of the contract)	Amount of exemption fee in (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-193]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.263.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 08.02.2016, makes the following amendment in this department's notification number F. 4(25) FD/Tax/2003-137 dated 08.02.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing condition number 2 shall be substituted by the following, namely:-

“2. that the Akshaya Patra Foundation, Jaipur shall generate a declaration in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer. The selling dealer shall furnish the duly signed Form VAT-72 to his assessing authority;”.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-194]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.264.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.4(33)FD/Tax/87-pt.II-170 dated 08.02.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression “, furnishes to the selling dealer a certificate in Form VAT-72 as appended to the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, for the purchases made on its behalf.”, the expression “shall generate a declaration in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer.” shall be substituted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-195]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.265.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.4 (33) FD / Tax / 87-pt.II-172 dated 08.02.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing condition number (1) and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"(1) that the sale shall be made to the Regimental or unit-run canteens attached to the Military units, members of Armed Forces of India, war widows, ex-army personnel including their widows, civilian officers and staff of Ministry of Defence paid out of Defence Estimates and officers and staff of Canteen Stores Department; and"

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-196]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.266.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.4 (33) FD / Tax / 87-pt.II-173 dated 08.02.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing condition number (3) and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“(3) that the sale shall be made to the members of Armed Forces of India, war widows, ex-army personnel including their widows, civilian officers and staff of Ministry of Defence paid out of Defence Estimates and officers and staff of Canteen Stores Department; and”

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-197]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.267.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification number F.12(23) FD/Tax/2015-207 dated 09.03.2015, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said notification, the existing serial number 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

3.	(a) Dealers/ Casual Traders dealing in all kinds of Kota Stone, marble and granite.	Immediately on completion of transaction of sale or purchase where such goods pass through check-post established under section 76 of the Act.
	(b) Dealers/ Casual Traders dealing in all types of used motor vehicles.	Before the application for transfer of ownership of the used motor vehicle is submitted to competent authority under the Motor Vehicle Act, (Central Act No. 59 of 1988).

This shall have effect from 01.04.2016.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-198]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.268.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), read with sub-rule (6) of rule 40 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-208 dated 09.03.2015, with effect from 01.04.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "6%", the expression "3%" shall be substituted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-199]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 8, 2016

S.O.269.-In exercise of the powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.12(16)FD/Tax/2009-116 dated, 21.01.2016, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) in sub-clause (2) of clause 1, for the existing expression "15th March. 2016", the expression "31st March, 2016" shall be substituted;
- (ii) the existing sub-clause (1) of clause 3 shall be substituted by the following, namely:-

“(1) The Scheme shall be applicable to the dealer or person against whom total outstanding demand created upto 30th June 2015 under the following Acts is less than rupees Fifteen crore,:

- (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954;
- (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994;
- (iii) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003;
- (iv) The Central Sales Tax Act, 1956; and
- (v) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988.”;

(iii) the existing serial number 3 and entries thereto of table of clause 4 shall be substituted by the following, namely:-

“

3.	Outstanding Demand of penalty or interest or both on the date of issuance of this notification and created on or before 31.03.2010 and does not relate to ,- (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/ Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/vehicle in transit.	(i) The applicant has deposited 10% of the outstanding amount of penalty and interest (as per Demand and Collection Register) on the date of filing of application. (ii) The applicant submits the proof of withdrawal of case from the concerned Court, Tax Board, Appellate Authority, in case the demand is under dispute, if applicable.	Remaining amount of penalty and interest along with interest accrued up to the date of order under the Scheme.
----	--	---	--

”;

(iv) the existing serial number 6 and entries thereto of table of clause 4 shall be substituted by the following, namely:-

“

6.	Outstanding Demand of penalty or interest or both on the date of issuance of this notification and created after 31.03.2010 but on or before 30.06.2015 and does not relate to,- (i) evasion or avoidance of Tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/ vehicle in transit.	(i) The applicant has deposited 20% of the outstanding amount of penalty and interest (as per Demand and Collection Register) on the date of filing of application. (ii) The applicant submits the proof of withdrawal of case from the concerned Court, Tax Board, Appellate Authority, in case the demand	Remaining amount of penalty and interest along with interest accrued up to the date of order under the Scheme.
----	--	--	--

”;

	is under dispute, if applicable.	
--	----------------------------------	--

- (v) the existing clause (2) of the explanation shall be substituted by the following, namely:-

“(2) Where any demand for which an application in Form AS-I is submitted under the scheme and any application for rectification related to such demand is pending before the assessing authority, then the application for rectification shall be disposed of within seven days of submission of AS-I or upto 31st March, 2016, whichever is earlier.”;

- (vi) In the sub-clause (1) of clause 5, for the existing expression "15.03.2016", the expression "31.03.2016" shall be substituted;

- (vii) in Form AS-I, the existing serial number 5 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“5. Details of amount involved:

S. No.	Year	Date of order	Amount Involved (Rs.)					Name of the Act in which the demand has been created as per clause 3
			Tax	Penalty	Interest	Other sum, if any	Total	
1.								
2.								

”; and

- (viii) in Form AS-II, after the existing serial number (i) and before the serial number (ii), the following new serial number (ia), (ib) and (ic) shall be inserted, namely:-

- “(ia) Name of the applicant:
 (ib) Address of the applicant:
 (ic) TIN, if any.”.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-200]
 By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
 Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
 (TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
 Jaipur, March 8, 2016**

S.O.270.-In pursuance of clause (i) and (iii) of sub-rule (1) of rule 53 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 read with sub-section (1) of section 79 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this Department's notification number F.12(84)FD/Tax/2009-21 dated 08.07.2009, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In list appended to the said notification,-

(i) the existing serial number 13 and entries thereto shall be substituted by the following namely:-

"

13.	Non-ferrous metals, alloys and wires thereof.
-----	---

 ";

(ii) the existing serial number 20 and entries thereto shall be substituted by the following namely:-

"

20.	Tobacco, Tobacco products, Cigarette, Pan Masala and Churi.
-----	---

 ";

(iii) the existing serial number 30 and entries thereto shall be substituted by the following namely:-

"

30.	All kinds of plastics and plastic goods except PVC granules when imported by manufacturer of the State for being used as raw material for production of plastic goods.
-----	--

 ";

(iv) the existing serial number 36 and entries thereto shall be deleted; and

(v) after the existing serial number 38 and entries thereto, the following new serial numbers and entries thereto shall be added, namely:-

"

39.	Cotton seed
40.	Readymade garments including semi-stitched garments

 ".

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-201]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.271.-In pursuance of clause (ii) of sub-rule (1) of rule 54 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 read with sub-section (2) of section 79 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in this Department's notification number F.12(84)FD/Tax/2009-24 dated 08.07.2009, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) the existing serial number 1 and entries thereto shall be deleted; and
(ii) the existing serial number 4 and entries thereto shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-202]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.272.-In pursuance of rule 41 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, the State Government hereby notifies that the payment of tax by a casual trader engaged in sale of used motor vehicle shall be made through Electronic Government Receipt Accounting System (e-GRAS) in the manner as provided therein.

This shall have effect from 01.04.2016.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-203]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.273.-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Sales Tax (Rajasthan) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 17.- In rule 17 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957,-

- (i) for the existing punctuation mark “.” appearing at the end of sub-rule (14), the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) in sub-rule (14) so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, for the reasons to be recorded in writing, in any particular case, may allow the dealer for submission of such application upto a period of one year from the date of generation of such declaration form or upto 30.09.2016, whichever is later.”

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-204]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.274.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification number F.12 (18) FD / Tax / 2008-51 dated 26.07.2012, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "up to 31.03.2016", the expression "up to 31.03.2017" shall be substituted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-205]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.275.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification number F.12 (18) FD / Tax / 2008-8 dated 23.04.2015, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "up to 31.03.2016", the expression "up to 31.03.2017" shall be substituted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-206]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.276.-In exercise of the powers conferred by section 43 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), the State

Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 11B.- The existing rule 11B of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“**11B. Refund.**-An application for refund shall be filed in Form VAT-20 appended to the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, in the manner as provided therein. The provisions of rule 27 of Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 shall apply *mutatis mutandis*.”

3. Substitution of rule 15.- The existing rule 15 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

“**15. Appeal to the appellate authority.**- An appeal under section 23 shall be submitted in Form VAT-27 appended to Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 in the manner as provided therein. The provisions of rule 30 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 shall apply *mutatis mutandis*.”

4. Deletion of Form ETLA-14.-The existing Form ETLA-14 appended to the said rules shall be deleted.

5. Deletion of Form ETLA-23.-The existing Form ETLA-23 appended to the said rules shall be deleted.

6. Deletion of Form ETLA-24.-The existing Form ETLA-24 appended to the said rules shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-207]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.277.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No.13 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendments in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-211 dated 09.03.2015, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In the List appended to the said notification,-

- (i) the existing serial numbers 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

3	All kinds of yarn, other than cotton & silk yarn in hank.	2	
---	---	---	--

 ";

- (ii) the existing serial number 6 and entries thereto shall be deleted;
(iii) the existing serial number 8 and entries thereto shall be deleted;
(iv) the existing serial number 14 and entries thereto shall be deleted;
(v) the existing serial number 17 and entries thereto shall be deleted;
(vi) the existing serial number 18 and entries thereto shall be deleted;
(vii) the existing serial number 20 and entries thereto shall be deleted;
(viii) the existing serial numbers 25 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

25	Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM) and Automatic Ticket Vending Machines (ATVM)	5	
----	---	---	--

 ";

- (ix) the existing serial number 33 and entries thereto shall be deleted;
(x) the existing serial number 41 and entries thereto shall be deleted; and
(xi) the existing serial number 43 and entries thereto shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-208]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.278.-In exercise of the powers conferred by section 9 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No.13 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendments in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-212 dated 09.03.2015, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In the List appended to the said notification,

- (i) the existing serial numbers 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

2	All kinds of yarn, other than cotton & silk yarn in hank.		
---	---	--	--

 ";

- (ii) the existing serial number 5 and entries thereto shall be deleted;
(iii) the existing serial number 7 and entries thereto shall be deleted;
(iv) the existing serial number 13 and entries thereto shall be deleted;

- (v) the existing serial number 16 and entries thereto shall be deleted;
- (vi) the existing serial number 17 and entries thereto shall be deleted;
- (vii) the existing serial number 19 and entries thereto shall be deleted;
- (viii) the existing serial numbers 24 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

24	Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM) and Automatic Ticket Vending Machines (ATVM)
----	---

 ";

- (ix) the existing serial number 31 and entries thereto shall be deleted;
- (x) the existing serial number 39 and entries thereto shall be deleted; and
- (xi) the existing serial number 41 and entries thereto shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-209]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.279.-In exercise of the powers conferred by section 45 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter referred to as "the said Act", read with section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following Voluntary Amnesty Scheme for Entry Tax-2016, hereinafter referred to as "the Scheme", for waiver of interest and penalty, namely:-

1. Short Title and Operative Period.- (1) This Scheme may be called the Voluntary Amnesty Scheme for Entry Tax-2016.

(2) This Scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31st March, 2016.

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

- (i) "Applicant" means a dealer or person, opting for the Scheme by submitting an application to the assessing authority; and
- (ii) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(2) The words and expressions used but not defined in this scheme shall have the same meaning as assigned to them in the said Act and rules made thereunder.

3. Applicability of the Scheme.- (1) The Scheme shall apply to the dealer or the person against whom total outstanding demand under the said Act is upto rupees Twenty Crore, and the demand has been created on or before 31st December, 2015.

(2) Subject to sub-clause (1) above, the Scheme shall also apply to the dealer or person who have been permitted to pay the demand(s) in installments, and all the installments which have become due at the time of filing of the application under the Scheme have been deposited by such dealer or person.

4. Benefits under the Scheme.- The amount of interest and penalty shall be waived to the extent as mentioned in column number 4 on fulfillment of such conditions as mentioned in column number 3 for the category of dealer or person as mentioned in column number 2 of the table given below:-

Table

S. No.	Category of Dealer or Person	Conditions	Extent of Waiver of Interest and Penalty
1	2	3	4
1.	Dealer or person against whom penalty under section 12 or section 15 or section 31 of the said Act has been imposed on or before 31.12.2014.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 15% of the outstanding penalty amount (as per Demand and Collection Register) on the date of filing of application. (ii) The applicant submits the proof of withdrawal of case from the concerned Court, Tax Board, Appellate Authority, in case the demand is under dispute, if applicable.	Remaining amount of penalty and the amount of interest along with interest accrued upto the date of order under the Scheme.
2.	Dealer or person against whom penalty under section 12 or section 15 or section 31 of the said Act has been imposed after 31.12.2014 but on or before 31.12.2015.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 25% of the outstanding penalty amount (as per Demand and Collection Register) on the date of filing of application. (ii) The applicant submits the proof of withdrawal of case from the concerned Court, Tax Board, Appellate Authority, in case the demand is under dispute, if applicable.	Remaining amount of penalty and the amount of interest along with interest accrued upto the date of order under the Scheme.
3.	Dealer or person against whom demand has been created on or before 31.12.2014 and not covered at serial number 1 above.	(iii) The applicant has deposited the whole amount of tax (as per Demand and Collection Register) on the date of filing of application. (iv) The applicant submits the proof of withdrawal of case from the concerned Court, Tax Board, Appellate Authority, in case the	Remaining amount of penalty and the amount of interest along with interest accrued upto the date of order under the Scheme.

		demand is under dispute, if applicable.	
4.	Dealer or person against whom demand has been created after 31.12.2014 but on or before 31.12.2015 and not covered at serial No. 2 above.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 20% of the outstanding interest amount (as per Demand and Collection Register) on the date of filing of application. (ii) The applicant submits the proof of withdrawal of case from the concerned Court, Tax Board, Appellate Authority, in case the demand is under dispute, if applicable.	Amount of penalty and remaining amount of interest along with interest accrued upto the date of order under the Scheme.

Explanation:(1) Where any amount has been deposited prior to issuance of this Scheme against the demand after its creation and an application under the Scheme is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited shall be adjusted against the liability of tax first and thereafter against the liability of interest and balance amount if any, shall be adjusted against the penalty imposed.

- (2) Where any demand for which an application in Form AS-I is submitted under the Scheme and any application for rectification related to such demand is pending before the assessing authority, then the application for rectification shall be disposed off within seven days of submission of Form AS-I or upto 31st March, 2016, whichever is earlier.

5. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under the Scheme, the applicant shall submit an application in Form AS-I appended to this Scheme to the assessing authority, along with detail of deposit of tax and/or penalty and/or interest, as the case may be.

(2) Subject to sub-clause (1) of clause 3, if the outstanding demand involves multiple entries, the applicant may apply for any number of entries as he wants.

(3) Separate entries in Form AS-I shall be made for each entry of outstanding demand and conditions as mentioned in column number 3 of table of clause 4 shall separately apply for each entry.

(4) Where the case(s) have been filed by the applicant, he shall submit the self authenticated copy of application filed for withdrawal of pending case.

(5) Where the case(s) have been filed by the Department and the applicant opts for this Scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the above mentioned table, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case.

(6) The assessing authority shall on receipt of the application, verify the facts mentioned in the application, and on being satisfied, he shall complete the form AS-II appended to this Scheme and shall reduce the outstanding demand of penalty and / or interest, as the case may be from Demand and Collection Register.

(7) The assessing authority shall forward the copy of Form AS-II to the Deputy Commissioner (Adm.) concerned and he shall also forward the copy of Form

AS-II to the Commissioner, in the cases where total amount of waiver is above rupees five lacs.

(8) The assessing authority shall also forward the copy of Form AS-II to the Applicant.

6. Condition.- The amount of demand waived under this Scheme shall not exceed the outstanding amount of interest and penalty along with interest accrued upto the date of order under the scheme, and no refund shall be made in any case.

FORM AS-I
(See Clause 5)

[To be filled by the dealer/ person]

1. Name and address of the Applicant:
2. Name of Circle / Ward :
3. Registration No. , if any:
4. E-mail id, if any:
5. Details of amount involved:

S. No.	Year	Date of order	Amount Involved (Rs.)				Total
			Tax	Penalty	Interest	Other sum, if any	
1.							
2.							

To be filled in case of outstanding demand is under dispute.

6. Date of filing of case :
7. Name of the Court / Forum in which case is pending:
8. Nature of case : Appeal / Revision / Writ Petition / Special Appeals/Prosecution under section 35 /Others
9. Present status of the case and the issues involved:
10. Status of the applicant: Appellant / Respondent:
11. Proof of withdrawal of case (if the case is filed by the applicant):
12. Mention the serial number of table of clause 4 regarding the category of dealer or person:

S.No.	Year	Date of Order	Category of dealer or person [Tick appropriate box]							
			1	2	3	4	5	6	7	8

13. Details of deposit of the amount

S.No.	Year	Amount Deposited (Rs.)	Date of Deposit	GRN/ CIN

Signature of the Applicant

Date:
Place:

Name:
Status

Verification

I do hereby verify that the information submitted above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the Applicant

Date:
Place:

Name:
Status

FORM AS-II
(See Clause 5)
[To be filled by Assessing Authority]

- (i) Name of Circle / Ward:
(ii) Name and Address of the dealer or person:
(iii) Registration Number, if any:
(iv) Authority whose order is under litigation :
(v) In case of litigation, Date of withdrawal of case:
(vi) In case of prosecution filed by the Department against the applicant, Number and date of sanction of prosecution:
(vii) Details of the disputed demand outstanding as on the date of submission of the application

S. No.	Year	Date of order	Amount Involved (Rs.)				Total
			Tax	Penalty	Interest	Other sum, if any	
1.							
2.							

- (viii) Amount of Interest on outstanding demand upto the date of submission of application: Rs.....
(ix) Verification of the amount deposited:

S. No.	Year	Date of order	Amount deposited				Date of deposit	Name of the Act
			Tax	Penalty	Interest	Total		
1.								
2.								

Verification

I have examined the application submitted by the applicant and do verify that the applicant has complied with the conditions of the Notification number FD/Tax/Dated , therefore, the balance outstanding demand of penalty and interest as mentioned in the following table, has been reduced from demand and collection register:-

S. No.	Year	Date of order	Amount outstanding as per DCR	Amount Deposited	Detail of penalty and interest as per DCR		Amount waived				
					Penalty	Interest	Penalty	Interest	Accrued Interest upto the date of order under the Scheme	Total	
1.											
2.											

Date: _____
Place: _____

Signature of the Assessing Authority
Name: _____
Designation" _____

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-210]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.280.-In exercise of the powers conferred by section 44 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Rules, 1997, and orders with reference to the proviso to sub-section (2) of the said section that previous publication of these amendment is dispensed with, as the State Government is satisfied that circumstances exists which render it necessary to take immediate action, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)(Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 5A.- The existing rule 5A of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Rules, 1997, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“5A. Declaration of normal rates fixed for luxuries provided in the hotel.- Every hotelier, shall, on or before the 1st day of April of every year, declare the normal rate for luxuries provided in a hotel by him for a day or part thereof for the ensuing financial year and intimate the same by 30th April of that year to the Luxury Tax Officer having jurisdiction electronically through the official website of the department in the manner provided therein:

Provided that a hotelier who is registered after 1st day of April of a financial year, he shall declare normal rates within one month from the date of registration and intimate the same to the Luxury Tax Officer having jurisdiction electronically through the official website of the department in the manner provided therein.

3. Insertion of rule 5B.- After rule 5A, so substituted and before the existing rule 6 of the said rules, the following new rule 5B shall be inserted, namely:-

“5B. To display details of the normal rates.- Every hotelier shall put up a board at the conspicuous place of his hotel to indicate complete details of the normal rates fixed by him under rule 5A of these rules for all categories of luxuries provided in the hotel.” .

4. Amendment of rule 6.- In the rule 6 of the said rules,-

- (i) in sub-rule (1), for the existing expression “Form VAT-10, Form VAT-10A and Form VAT-11”, the expression “Form VAT-10 and Form VAT-10A” shall be substituted; and
- (ii) the existing clause (c) of sub-rule (2) shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-211]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.281.-In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996) and in supersession of this department's notification number F.12(59)FD/Tax/2014-38 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby with effect from 01.04.2016, notifies that the tax payable under the Act by any hotelier, for luxuries provided in the class of hotels as mentioned in column number 2 having normal rate for luxuries as mentioned in column number 3 shall be calculated at the rate as mentioned in column number 4, against each of them, of the table given below:-

S. No.	Class of Hotels	Normal rate for luxuries	Rate of tax
1	2	3	4
1.	All Heritage hotels other than hotels categorized in the "Grand" category by Government of India or categorized as equivalent to "Grand" category by a Committee constituted for the purpose by the State Government	Rs. 3001/- or more per day or part thereof	8%
2.	All hotels other than those mentioned at serial number 1 above.	Rs. 3,001/- or more but upto Rs. 10,000/-per day or part thereof.	10%
		Rs. 10,001/- or more per day or part thereof.	12%

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-212]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.282.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Rules, 1957, and orders with reference to proviso to sub-section (4) of the said section that previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers that they should be brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. Substitution of rule 27.- The existing rule 27 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Rules, 1957, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

“27. Appeal to the Appellate Authority.- An appeal under section 13A shall be submitted in Form VAT-27 appended to Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 in the manner as provided therein. All the provisions of rule 30 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 shall apply mutatis mutandis.”

3. Deletion of Form S-2.- The existing Form S-2 appended to the said rules shall be deleted.

[No.F.12(11)FD/Tax/2016-213]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 8, 2016**

S.O.283.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-229 dated 09.03.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument specified in sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 and clause (b) of Article 37 of the Schedule of the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent subject to maximum of rupees ten lakh.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-214]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.284.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-55 dated July 14, 2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 3 and 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

3.	If the lease deed is issued in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.05.2013 and his application or the record submitted by the Housing Co-operative Society before Urban Local Body on or before 31.08.2016.	On the amount of premium, development charges, conversion charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years subject to condition that,- (i) the Urban Local Body concerned shall make endorsement on the lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 31.08.2016; (ii) the lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the Registering Officer, issued by the Urban Local Body concerned wherein the number and date of execution of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property are stated; and (iii) the lease deed shall be presented for registration on or before 30.09.2016.
4.	If the lease deed is issued on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.05.2013 but submitted for registration after 30.09.2016.	On the value calculated on the basis of prevalent rates of reserve price of the area prescribed by Local Authority concerned, if the rates of reserve price of the area are not prescribed, on the basis of reserve price of nearby area subject to the condition that the lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the Registering Officer, issued by the Urban Local Body concerned wherein the number and date of execution of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property are stated.

"

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-215]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.285.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the lease deed or sale deed of residential land issued or executed by Local Bodies or Gram Panchayats situated in territorial jurisdiction of Tehsil Pachpadra, District Barmer shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Details	Stamp Duty payable at the rate of conveyance
1.	Lease deed or sale deed executed prior to 11.07.2013 and period of registration of such deed expired during 11.07.2013 to 02.03.2014.	On the amount of premium, development charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years.
2.	Lease deed or sale deed executed during 11.07.2013 to 02.03.2014.	

Provided that the,-

- (i) Notification number F.4(15)FD/Tax/2014-54 dated 14.07.2014, F.4(15)FD/Tax/2014-55 dated 14.7.2014 and F.2(60)FD/Tax/2012-70 dated 24.07.2015 shall not apply on the above mentioned lease deeds/sale deeds.
- (ii) Stamp duty already paid in such cases shall not be refunded.

This notification shall remain in force upto 30.04.2016.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-216]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.286.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(14)FD/Tax Div./98-52 dated 09.07.1998, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of partition of ancestral property shall be reduced and charged at the rate of 1.5 percent of the market value of the separated share or shares of the property.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-217]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.287.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(22)FD/Tax/2010-96 dated 09.03.2010, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of settlement executed in favour of family members, shall be reduced and charged at the rate of 1.5 percent of the market value of the property settled by such instrument.

Explanation: "Family Member" means father, mother, wife, brother, sister, son, daughter, grand son, grand daughter, daughter-in-law of settler.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-218]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.288.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby rescind this department's notification number F.2(34)FD/Tax/2010-54 dated 18.08.2010.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-219]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.289.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of lease or sale of dwelling unit executed by the Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts and Municipalities under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 in favour of persons belonging to Economically Weaker Section or Low Income Group, shall be reduced and charged rupees 50/- and rupees 100/- respectively, on fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) that in case of Economically Weaker Section, the annual income of the person is not more than Rs. 1,50,000/- and super built up area of dwelling unit is not more than 350 square feet; and
- (b) that in case of Low Income Group, the annual income of the person is not less than Rs. 1,50,001/- and not more than Rs. 3,00,000/- and super built up area of dwelling unit is not more than 550 square feet.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-220]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.290.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments of bank guarantee and renewal of bank guarantee executed prior to 09.03.2015 shall be reduced and charged rupees one thousand and rupees one hundred respectively but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-221]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.291.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-50 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on orders of land use change and conversion issued under the Rajasthan Urban Areas (Change of Land Use) Rules, 2010 or the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007 or under any other relevant rules, as the case may be, shall be reduced and charged as under:-

- (i) at the rate of 5% of the amount of charges or fee for land use change, subject to a minimum of rupees 500 in each case; and
- (ii) at the rate of 3% of the amount of land conversion charges, subject to a minimum of rupees 500 in each case.

Explanation:

- (i) The stamp duty paid on the order of land use change shall be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the lease deed at the time of execution of lease deed in pursuance of such order;
- (ii) This notification shall also be applicable on orders of land use change and conversion pending for adjudication of proper stamp duty before Collector (Stamps) and orders issued before the date of publication of this notification; and
- (iii) Stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-222]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.292.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby rescind this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-51 dated 14.07.2014.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-223]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.293.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable in excess of rupees one thousand on the instruments of renewal of bank guarantee executed on or after 09.03.2015 shall be remitted but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-224]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.294.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable in excess of rupees ten lakh on the instruments specified in clause (d) of Article 5 and Article 6 of the Schedule of the said Act, shall be remitted.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-225]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.295.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into Limited Liability Partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act No. 6 of 2009) as specified in sub-clause (a) of clause (2) of Article 35-B of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998, shall be reduced and charged at the rate of one percent.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-226]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.296.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of loan upto rupees ten lakh executed by or on behalf of student for educational purposes, shall be remitted.

This notification shall remain in force upto 31.03.2017.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-227]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.297.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of loan upto rupees ten lakh executed for the purposes of establishment of Start-up by any individual, or group of individuals or students who are eligible to receive support under the Rajasthan Start-up Policy, 2015, shall be remitted.

This notification shall remain in force upto 31.03.2017.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-228]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.298.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments of cash credit, overdraft or term loan upto rupees ten lakh executed by banks or financial institutions under the scheme of Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA), shall be remitted.

This notification shall remain in force upto 31.03.2017.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-229]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.299.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments of reverse mortgage executed by senior citizen, shall be remitted on the following conditions, namely:-

- (i) that the senior citizen should be citizen of the India and above the age of 60 years;
- (ii) that the married couples shall be eligible as joint borrowers, if at least one of them is above the age of 60 years and the other is not below the age of 55 years.

This notification shall remain in force upto 31.03.2017.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-230]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.300.-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that interest chargeable under section 72 of the said Act for the period from the date of execution of the instrument to the date of order of the Collector (Stamps) on the amount of stamp duty determined by the Collector (Stamps) under section 35 and 36 of the said Act, shall be remitted but the interest already paid shall not be refunded.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-231]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.301.-In exercise of the powers conferred by section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is

expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12(25)FD/Tax/11-152 dated 09.03.2011, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "for construction on, development of", the expression "for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of", shall be substituted.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-232]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.302.-In exercise of the powers conferred by section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that surcharge at the rate of ten percent shall be charged on the stamp duty payable, on the instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, under section 3 read with Schedule to the said Act, for the purposes of conservation and propagation of cow and its progeny.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-233]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.303.-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 23.- After the existing proviso to rule 23 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that the limit prescribed in above proviso shall be rupees one lakh for licensed vendor who is authorised to sale e-stamps also.”

3. Amendment of rule 58.- After the existing sub-rule (4) of rule 58 of the said rules, the following new sub-rule (5) shall be added, namely:-

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2), (3) and (4) above, the State Government, if the circumstances so require, may by order suspend the revision of the rates of agriculture, residential or commercial categories of land for a particular year or years."

4. Insertion of rule 67B.- After the existing rule 67A and before the existing rule 68 of the said rules, following new rule 67B shall be inserted, namely:-

"67B. Mode of service of orders, summons or notices.- Service of any order, summons or notice under the Act or rules may be effected in any one of the following ways, namely:-

- (a) by giving or tendering the copy thereof to the person concerned or his authorised representative; or
- (b) if the person mentioned in clause (a) cannot be easily found, by giving or tendering a copy thereof to an adult member of his family; or
- (c) if the address of the person concerned is known to the authority concerned, by sending a copy thereof by registered post or through an electronic device, or
- (d) if none of the modes aforesaid is practicable, by affixation of a copy thereof in some conspicuous place at his last known place of business or residence, or by publishing in a State level newspaper; or
- (e) by sending the contents of such order, summons or notice as the case may be, to the person concerned through an e-mail address provided by such person."

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-234]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.304.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-226 dated 09.03.2015, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification the existing sub-clause (iii) of clause 7 shall be substituted by the following, namely:-

- "(iii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to 1.5 times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is 2500 sq. meter or more."

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-235]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.305.-In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-225 dated March 9, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 3 and 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

3.	On transfer of a unit on basement without the rights of roof	50% of the assessed market value of the land
4.	On transfer of a unit on third or above floor without the rights of roof	40% of the assessed market value of the land
5.	On transfer of a unit with the rights of roof	100% of the assessed market value of the land

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-236]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.306.-In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-231 dated March 9, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) the existing serial number 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

3.	Kucha/Mud and Keluposh Construction	Rs. 250/- per sq. feet
----	-------------------------------------	------------------------

(ii) below the existing table, following note shall be added, namely:-

"Note: Market value of construction not covered by any category mentioned in the above table shall be assessed on the basis of guidelines issued by Inspector General of Stamps."

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-237]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

ORDER

Jaipur, March 08, 2016

S.O.307.-In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that circumstances so require, hereby orders that the rates of agriculture, residential and commercial categories of land shall not be revised by District Level Committee for the year 2016-17 but in the districts where such rates have not been revised by District Level Committee during the year 2015-16 the market value of the above categories of land shall be assessed after 10% increase as per sub-rule (3) of the said rule.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-238]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.308.-In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.2(47)FD/Tax/09-04 dated 09.04.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, under the head ARTICLE-I, in column number 3 against serial number 6, the existing expression "subject to a maximum of rupees fifty thousand" shall be deleted.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-239]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.309.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(17)FD/Tax/2010-73 dated 04.10.2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

1. In column number 4 and 5 of the table of the said notification,-

(i) against serial number 16, after the existing expression

"xxi. Pawta	Sub Tehsil Pawta"
-------------	-------------------

the expression

"xxii. Kalwar	Sub Tehsil Kalwar"
---------------	--------------------

shall be added; and

(ii) against serial number 17, after the existing expression

"vi. Phalsund	Sub Tehsil Phalsund"
---------------	----------------------

the expressions

"vii. Ramgarh	Sub Tehsil Ramgarh
viii. Nokh	Sub Tehsil Nokh
ix. Sam	Sub Tehsil Sam"

shall be added.

2. The existing note appearing below the table shall be substituted by the following, namely:-

"Note: Excluding the cases of Sub Tehsils of registering sub districts of Ajmer, Jaipur and Jodhpur, limits of Sub Tehsils shall not be included in the limits of their corresponding Tehsils where such Sub Tehsils are declared independent registering sub districts under section 5 of the Registration Act, 1908."

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-240]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**

S.O.310.-In exercise of the powers conferred by section 6 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the

following amendments in this department's notification number F.2(17)FD/Tax/2010-74 dated 04.10.2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In column number 3 and 4 of the table of the said notification,-

- (i) against serial number 16, after the existing expression

"xxxv. Naib Tehsildar, Pawta	Pawta"
------------------------------	--------

the expression

"xxxvi. Naib Tehsildar, Kalwar	Kalwar"
--------------------------------	---------

shall be added; and

- (ii) against serial number 17, after the existing expression

"vi. Naib Tehsildar, Phalsund	Phalsund"
-------------------------------	-----------

the expressions,

"vii. Naib Tehsildar, Ramgarh	Ramgarh
viii. Naib Tehsildar, Nokh	Nokh
ix. Naib Tehsildar, Sam	Sam"

shall be added.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-241]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.311.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.12(22)FD/Tax/10-99 dated 09.03.2010, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that registration fees chargeable in excess of rupees twenty five thousand on the instruments specified in clause (d) of Article 5, Article 6, sub-clause (ii) of clause (b) of Article 30 and clause (b) of Article 37 of the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 shall be remitted.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-242]

By order of the Governor,

(Dr. Devraj)

Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.312.-In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby,

with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(262)Pari/Tax/Hqrs/07/9F-167 dated 09.03.2007, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) in column number 2 against item (b) of serial number 1 of the table, for the existing expression "Rs. 4000/- + Rs. 50/- for every Rs. one lakh or part thereof of the cost of horse exceeding Rs. 10,00,000.", the expression "Rs. 4000/- + 0.15% of the cost of the horse exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted;
- (ii) in column number 2 against item (d) of serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 5050/- + Rs. 50/- for every Rs. one lakh or part thereof of the cost exceeding Rs. 10 lakh.", the expression "Rs. 5050/- + 0.15% of the cost of the vehicle exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted; and
- (iii) the existing proviso appearing below the table shall be deleted.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/9G]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.313.-In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/25, dated 31.03.2006, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In clause (2) of proviso to the said notification, for the existing expression "Rs. 25,000", the expression "Rs. 32,000" shall be substituted.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/25C]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.314.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1R, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) the existing clause (C) and entries thereto of serial number 1 of the table shall be substituted by the following, namely:-

(C) Four wheeled vehicles having engine capacity	
With seating capacity upto 10 including driver	
(i) upto 800 cc	
(a) Petrol	4% of the cost of the vehicle
(b) Diesel	6% of the cost of the vehicle
(ii) more than 800 cc and upto 1200 cc	
(a) Petrol	7% of the cost of the vehicle
(b) Diesel	9% of the cost of the vehicle
(iii) more than 1200 cc	
(a) Petrol	8% of the cost of the vehicle
(b) Diesel	10% of the cost of the vehicle

- (ii) in clause (7) of proviso, for the existing expression "motor cab or maxi cab", wherever occurring, the expression "motor cab or maxi cab or private service vehicle " shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1U]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.315.-In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3, dated 09.03.2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, after the existing serial number 3 and entries thereto, following new serial number 4 and 5 and entries thereto shall be added, namely: -

- "4. All categories of Goods Vehicles having Gross Vehicle Weight more than 7500 kg and upto 12000 kg.
5. All Private Service Vehicles with seating capacity upto 12 excluding driver."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27A]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, March 08, 2016**

S.O.316.-In exercise of the powers conferred by section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/HQ/09/24C, dated 14.07.2014, the State Government hereby prescribes the rate of cess called Green Tax for different class of vehicles as specified in column number 2, at such time as specified in column number 3 of the table given below, at the rate specified against each in column number 4 thereof, namely:-

Table

S. No.	Class of vehicle	Time	Rate of cess (In Rs.)
1	2	3	4
1	Non Transport Vehicle	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	(A) Two Wheelers		500
	(B) Four Wheeled (Car, Jeep) diesel driven vehicles		
	(i) LMV with engine capacity upto 1500 cc		2000
	(ii) LMV with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc.		3000
	(iii) LMV with engine capacity above 2000 cc with seating capacity upto 5.		4000
	(iv) LMV with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5.		5000
	(C) Other than above non-transport vehicles		1000
2	Transport Vehicle	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	(A) Two wheeled passenger vehicle/ three wheeled passenger and goods vehicle		300
	(B) Other than three wheeled passenger and goods vehicle		
	(i) Light motor vehicle		
	(a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration		1000
	(b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration.		1500
	(ii) other than light motor vehicle		

	(a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration		1500
	(b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration.		2000

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/24D]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

S.O.317.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act 1951 (Act No.11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(266)/pari/tax/Hqrs/2006/8636-79, dated 15.05.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts Special Road Tax payable exceeding Rupees 12500/- per month under section 4-B of the said Act, on the air conditioned passenger vehicles, except sleeper coach having seating capacity more than 12 including driver, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the Vehicle shall be registered in the State of Rajasthan in the name of tourist transport operator;
- (ii) that the tourist permit of the vehicle shall be issued by competent authority of State of Rajasthan in the name of recognized tourist operator; and
- (iii) that the tourist transport operator shall be recognized by Ministry of Tourism, Government of India or Tourism Department, Government of Rajasthan, Indian Association of Tour Operators (IATO) and Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) and approved as such by the Transport Commissioner.

This notification shall have effect from 01.04.2016 and shall remain in force upto 30.04.2018.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

S.O.318.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do,

hereby exempts from tax payable under section 4-D of the said Act on vehicles driven solely on electric battery.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27C]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

S.O.319.-In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) in column number 3 against item (b) of clause (1) of serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 20,000/- + Rs. 50 for every Rs. one lakh or part thereof of cost exceeding Rs. 10 lakh", the expression "Rs. 20,000/- + 0.15% of the cost of the horse exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted; and
- (ii) in column number 3 against item (d) of clause (2) of serial number 2 of the table, for the existing expression "8300/- + Rs. 50 for every Rs. one lakh or part thereof of cost exceeding Rs. 10 lakhs", the expression "Rs. 8300/-+0.15% of the cost of the vehicle exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

S.O.320.-In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/22C, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification,-

- (i) in column number 3 against item (a) of serial number 2, the existing expression "(subject to a maximum of Rs. 2.00 lacs)" shall be deleted;
- (ii) in column number 3 against item (b) of serial number 2, the existing expression "(subject to a maximum of Rs. 2.00 lacs)" shall be deleted;
- (iii) in item (1), in column number 2 of serial number 4, for the existing expression "upto 9", the expression "upto 12" shall be substituted;
- (iv) in item (2), in column number 2 of serial number 4, for the existing expression "more than 9", the expression "more than 12" shall be substituted; and
- (v) in column number 3 against serial number 6, for the existing expression "9%", the expression "1%" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22D]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

S.O.321.-In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/11K, as amended from time to time, dated 31.03.2006, namely: -

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) in the existing clause (4) of proviso appearing below the table, for the existing expression "Rs. 25,000", the expression "Rs. 32,000" shall be substituted;
- (ii) after the existing clause (7) of proviso appearing below the table, the following new clauses shall be added, namely:-

"(8) the Motor Vehicle specified in sub-clauses (v), (vi), (vii) or (viii) of clause 2 of the table and plying exclusively under a non-temporary fix contract with any industrial or commercial entity, the Special Road Tax shall be payable at the rate of 50 % of the rate as mentioned against each in column number 2, subject to a maximum of Rupees 12,500/- per month.

(9) if any vehicle, specified in clause (8) of proviso is found plying without appropriate permit they shall be liable to pay tax two times of tax as specified in clause (4) of this proviso for such vehicle."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/11N]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

S.O.322.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(59)Pari/Tax/Hqrs/05-75280 dated 01.11.2010 and F.6(59)Pari/Tax/Hqrs/05-645 dated 27.04.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts, Two Wheeler Vehicles distributed free of cost under Devnarayan Chhatra Scooty Vitran and Protsahan Yojna or Anusuchit Janjati Chhatra Nishulk Scooty Vitran Yojana or Rajasthan Medhavi Chhatra Protsahan Yojana, from payment of One Time Tax, Green Tax and Surcharge payable under section 4, 4-D and 4-E of the said Act.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27D]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

S.O.323.-In exercise of the powers conferred by the sub-rule (1) of rule 4.6 of Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 and in supersession of this department's Notification number F 7 (94) Pari/ Rule/ Hq/94/ 644 Dated 27.04.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts two wheeler vehicles distributed free of cost under Dev Narayan Chhatra Scooty Vitran and Protsahan Yojna or Anusuchit Janjati Chhatra Nishulk Scooty Vitran Yojna or Rajasthan Medhavi Chhatra Protsahan Yojna from payment of registration fee payable under Rule 81 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27E]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

Government Central Press, Jaipur.